

बहुआयामी शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान समिति
बहुआयामी राजनीतिक पार्टी (बी.ए.पी.)
Multidimensional Political Party

Multidimensional Political Party (MDP)

परखनली
आओ परखें



बहुआयामी राजनीतिक पार्टी (बी.ए.पी.)

संविधान/Constitution

Officers Solutions Booklet

पदाधिकारी समाधान पुस्तिका



बोल कि लब आजाद है तेरे

सम्भावित पार्टी चिन्ह

बी.ए.पी.



M.D.P.

परखनली
आओ परखें

अब राजा वही बनेगा जो उसका असली हकदार होगा

Multidimensional Educational Technical & Research Society

Constitution

संविधान

NOMENCLATURE/ शब्दावली

ARTICLE No./ अनुच्छेद क्रमांक

Page No.

Rule under Article/ अनुच्छेद के तहत नियम

| | |
|--|----|
| ART. 1., Multidimensionalism/ बहुआयामवाद | 04 |
| ART. 2., Party Affidavit/ शपथ पत्र | 05 |
| ART. 3., Name of the Organization/Party/ संगठन / पार्टी का नाम | 06 |
| ART. 4., Allotted symbol of the Party / पार्टी का प्रतीक आवंटित | 06 |
| ART. 5., Party Principal/ पार्टी सिद्धांतों | 06 |
| ART. 6., Party policy / पार्टी की नीति | 06 |
| ART. 7., Objective of the party / पार्टी का उद्देश्य | 06 |
| ART. 8., Party Propaganda/ पार्टी का प्रचार | 08 |
| ART. 9., Party Flag / पार्टी का झंडा | 08 |
| ART. 10., Party/Organization Structure/ पार्टी / संगठन संरचना | 08 |
| ART. 11., Party Discipline/ पार्टी अनुशासन | 09 |
| ART. 12., Work of Incharge/ प्रभारी के कार्य | 09 |
| ART. 13., Work of Controller/ नियंत्रक के कार्य | 09 |
| ART. 14., Party Work of President/ पार्टी अध्यक्ष के कार्य | 10 |
| ART. 15., Work of Vice-President/ उपाध्यक्ष के कार्य | 11 |
| ART. 16., Work of Confidential/ गोपनीयक के कार्य | 11 |
| ART. 17., Roles and Responsibilities of Advisors/ सलाहकारों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां | 12 |
| ART. 18., Work General Secretary/ महासचिव और सहायक के कर्तव्य | 12 |
| ART. 19., Work of Treasurer/ कोषाध्यक्ष के कार्य | 13 |
| ART. 20., Work of Collector/ संग्राहक के कार्य | 13 |
| ART. 21., Work of General Spoker/ महाप्रवक्ता के कार्य | 13 |
| ART. 22., Work of Media Incharge/ मीडिया प्रभारी के कार्य | 15 |
| ART. 23., Work of Messenger/ संदेशक के कार्य | 15 |
| ART. 24., Work of Promoter/ प्रोत्साहक के कार्य | 16 |
| ART. 25., Tenure of the Office-Bearers/ पदाधिकारियों का कार्यकाल | 16 |
| ART. 26., Map Structure of the party/ पार्टी का नक्शा संरचना | 17 |
| ART. 27., Party officer / Wing / पार्टी अधिकारी / विंग | 18 |
| ART. 28., Rules for Party and cells/ पार्टी और प्रकोष्ठों के लिए नियम | 19 |
| ART. 39., Party Societies/ पार्टी समितियां | 21 |
| ART. 40., Membership Policy/ सदस्यता के लिए नीति | 23 |
| ART. 41., Rights of members/ सदस्यों के अधिकार | 25 |
| ART. 42., Duties of members/ सदस्यों के कर्तव्य | 25 |
| ART. 43., Check-up of Party Membership/ पार्टी सदस्यता की जांच | 26 |
| ART. 44., Women's reservation/ महिला आरक्षण | 26 |
| ART. 45., Party Units at Village Panchayat Level/ ग्राम पंचायत स्तर पर पार्टी इकाइयाँ | 27 |
| ART. 46., Party Units at Town Panchayat Level/ नगर पंचायत स्तर पर पार्टी इकाइयाँ | 27 |
| ART. 47., Assembly Union Party Units/ पंचायत संघ पार्टी इकाइयाँ | 27 |
| ART. 48., Lok Sabha Level Party Units/ लोकसभा स्तर की पार्टी इकाइयाँ | 28 |



| | |
|--|-----------|
| ART. 49., Sector zone Level Party Units/ मंडल लेवल पार्टी इकाइयाँ | 28 |
| ART. 50., State Level Party Units/ राज्य लेवल पार्टी इकाइयाँ | 28 |
| ART. 51., Central Committee/ केंद्रीय समिति | 28 |
| ART. 52., Election committee/ चुनाव समिति | 30 |
| ART. 53., Election Procedure/ चुनाव प्रक्रिया | 31 |
| ART. 54., Election Machinery/ चुनाव मशीनरी | 31 |
| ART. 55., Power & Function of the Election Committee/ चुनाव समिति की शक्ति और कार्य | 32 |
| ART. 56., Election Dispute/ चुनावी विवाद | 32 |
| ART. 57., Rules of Discipline/ अनुशासन के नियम | 33 |
| ART. 58., Breach of Discipline/ अनुशासन का उल्लंघन | 34 |
| ART. 59., Special Session/ विशेष सत्र | 35 |
| ART. 60., Women's Reservation party team B / महिला आरक्षण पार्टी टीम बी | 35 |
| ART. 61., Powers and jurisdiction/ शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार | 35 |
| ART. 62., Parliamentary board/ संसदीय बोर्ड | 36 |
| ART. 63., Party funds/ पार्टी फंड | 36 |
| ART. 64., Central Committee Finances Rules/ केंद्रीय समिति वित्त नियम | 37 |
| ART. 65., Quorum for the meeting of the members/ सदस्यों की बैठक के लिए कोरम | 37 |
| ART. 66., Resignations/ इस्तीफे | 37 |
| ART. 67., Vacancy/ रिक्ति | 38 |
| ART. 68., Party Congress and Conferences/ पार्टी कांग्रेस और सम्मेलन | 38 |
| ART. 69., Party Veterans/ पार्टी के दिग्गज | 38 |
| ART. 71., Amendments of constitution/ संविधान के संशोधन | 38 |
| ART. 72., ART. Party Bye-Laws/ पार्टी बाय-लॉ | 38 |
| ART. 73., Miscellaneous Provision/ विविध प्रावधान | 38 |
| ART. 74., Delegate/ प्रतिनिधि | 38 |
| ART. 75., Member Welcome Letter/ सदस्यता स्वागत पत्र | 39 |
| ART. 76., Press Note/ प्रेसविज्ञप्ति | 41 |
| ART. 77., Employ Latter/ नियुक्ति पत्र | 42 |
| ART. 78., Authorisation letter/ प्राधिकार पत्र | 43 |

All rights are reserved by the MDP.

No part of this publication may be reproduced or stored in retrieval system on transmitted in any form on by any means without the prior permission of the President, MDP. Violation of it shall be prosecuted.

सभी अधिकार एमडीपी के पास सुरक्षित हैं।

अध्यक्ष, एमडीपी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी रूप में किसी भी रूप में प्रसारित होने पर इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा पुनः उत्पन्न या पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इस संविधान के लेख में समिति या संस्था शब्द का भी प्रयोग किया गया है जिसका मतलब पार्टी समझा जाए तथा जिला शब्द का मतलब लोकसभा समझा जाय

The word committee or institution has also been used in the article of this constitution, which is understood to mean party and the meaning of the word district should be understood as Lok Sabha.



बहुआयामवाद

बहुआयामी व्यक्तित्व या बहुआयामवाद को परिभाषित करने से पहले निम्न धारणा पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं

बहुआयामी शब्द की उत्पत्ति आयामों, विमाओं, दिशाओं, से होती है

उदाहरण के तौर पर यदि बहुआयामी की बात करें तो देखते हैं कि हम तीन दिशाओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसको हम आगे, पीछे, आएं, बाएँ, ऊपर, नीचे बोल पाते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि किसी कीड़े को एक धागे पर रेंगने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए तो वह एक ही विमा का अनुभव कर सकेगा ठीक इसी प्रकार यदि उसे एक मेज पर बैठा दिया जाए तो वह दो विमाओं का अनुभव करेगा यदि वही कीड़ा उड़ने के लिए स्वतंत्र है तो वह तीन दिशाओं का अनुभव कर सकेगा, ठीक इसी प्रकार से बहुआयामी शिक्षा बहुआयामी तकनीकी और बहुआयामी अनुसंधान को संज्ञान में लेते हुए बहु आयामवाद की परिभाषा दी जा रही है।

यदि एक बहुआयामी व्यक्तित्व की बात करें तो जो कई पहलुओं पर एक ही समय पर बात रखने और कार्य करने का हुनर रखता है जो कि किसी अभिरुचि हो या शर्तों के साथ संदर्भित रहता है बहुआयामी व्यक्तित्व में बहुआयामी प्रतिभा, बहुआयामी संघर्ष, बहुआयामी साहस, बहुआयामी क्षमता, बहुआयामी जिज्ञासा, बहुआयामी गतिविधियां, बहुआयामी असीमित व्यक्तित्व, बहुआयामी आध्यात्मिक विकास, और बहुआयामी व्यक्तिगत विकास, बहुआयामी ज्ञान, और कौशल की सार्वभौमिकता बहुआयामी तर्कसंगत के रूप में निरंतर अथाह सागर आगे बढ़ते रहने का व्यक्तित्व है।

बहुआयामी प्रतिभा को देखते हुए, यह बहुमुखी संभावनाओं की सीमाओं का विस्तार, प्रयासों के आवेदन बिंदु चुनने की स्वतंत्रता, अनुभवों से सीखने की क्षमता, निष्क्रियता और उबाऊ पन से मुक्ति, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति से आनंद, आसपास के पर्यावरण का आवरण, बहुआयामी ज्ञान की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करता रहता है।, बहुमुखी प्रतिभा के लिए आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों, के अपने ज्ञान, कौशल, शैक्षिक स्वाद, अभ्यास, श्रम, व्यवहारिक उपकरण, को लहराते हुए अपने व्यक्तित्व की खेती, उपज करने का प्रयास करता रहता है।, संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने अनेक आयाम, अनेक विचार, अनेक स्तर, अनेक कोण, अनेक दिशा, अनेक परिमाण, अनेक धारणाओं, का सटीक मार्गदर्शन हो।, अनंतः प्रत्येक व्यक्ति बहुआयामी व्यक्तित्व का मालिक होता है इसके सकारात्मक नकारात्मक महत्व व पहचान को समझे बगैर समाज या विश्व में शांति लाना असंभव सा लगता है, वैश्विक सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव का जिम्मेवार प्रत्येक बहुआयामी व्यक्तित्व ही होता है

उदाहरण के तौर पर यदि मैं ओर आप हम एक बहुआयामी व्यक्तित्व के हैं और मेरी सारी पहचानें बहुआयामी सही दिशाओं में हैं तो मैं और आप हम निश्चित तौर पर विश्व में शांति और विकास की दिशा में बेहतर चमत्कारी बदलाव करने में सक्षम हो सकेंगे।, यदि निरंतर प्रगति करने में गलती से दिशाओं का फेरबदल होता है तो निश्चित तौर पर विश्व पतन की ओर पहुंचने के लिए बाध्य होता रहेगा, (उदाहरण के तौर पर बहुआयामी विज्ञान ने परमाणु बम का आविष्कार करके दिखाया है) और निश्चित तौर पर बहुआयामी व्यक्तित्व नष्ट होता चला जाएगा।, यदि किसी भी कार्य को बिना गलती किए हुए लगातार किया जाए और बिना कठिनाई से किया जाए तो वह बौद्धिक क्षमता का सूचक माना जाता है। वर्तमान समाज की स्थिति और परिस्थितियों को समझते हुए शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान में अहम बहुआयामी सोच के साथ बदलाव करने की आवश्यकता है।

जो की बहुआयामवाद बहुआयामी राजनीतिक पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहेगा।


के एम आमिष



शपथ पत्र

(बहुआयामवाद बहुआयामी राजनीतिक पार्टी शामिल हेतु)

मैं पुत्र श्री..... निवासी.....
डाक घर (पपि कोड) जनपद.....
प्रदेश..... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/ करती हूँ कि मेरे द्वारा जो भी विवरण आवेदन में अंकित किया गया है वह पूर्णतया सत्य है मैं बयान करता हूँ/ करती हूँ कि मुझे किसी अन्य पार्टी में मुझ पर संगीन आरोप लगाते हुए पदच्युत नहीं किया गया है और ना ही नैतिक अधमता व अन्य किसी अपराध के लिए मुझे दोषी सिद्ध किया गया मैंने बहुआयामी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता व नियुक्ति की सभी शर्तों को भलीभांति पढ़ व समझ लिया है नियुक्ति किसी स्तर पर कोई सूचना गलत पाए जाने पर व फर्जी पाए जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी मैं बहुआयामवाद की सभी शर्तों को भली-भांति निभाता/ निभाती रहूँगी।

.....
अभ्यर्थी / अभियार्थिनी का नाम व हस्ताक्षर

बहुआयामवाद

1. बहुआयामवाद के कार्यकर्ता कीटाणु की तरह सक्रिय निष्क्रिय होकर उत्प्रेरक/केटलिस्ट की तरह कार्य करते रहेंगे।
2. बहुआयामवाद गांधीजिज्म, अंबेडकरवाद की विचारधारा पर तथा ब्रिटिशवाद के खिलाफ आगे बढ़ती रहेगी।
3. बहुआयामवाद भारतीय स्वदेशी कृषि तथा प्रौद्योगिकी प्राणी पर भारतीयों को निर्भर करवाती रहेगी।
4. बहुआयामवाद किसी भी भारतीय राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का सम्मान करती रहेगी।
5. बहुआयामवाद के समस्त राजनीतिक कार्य पार्टी तथा भारतीय संवैधानिक के तहत होते रहेंगे।
6. बहुआयामवाद सरकारी विभागीय समितियों पर अहम राजनैतिक रणनीतियां बनाती रहेगी।
7. बहुआयामवाद विपक्ष की भूमिका निभाने में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी।
8. बहुआयामवाद शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अहम राजनैतिक रणनीतियां बनाती रहेगी।
9. बहुआयामवाद का कोई भी कार्यकर्ता धर्म लिंग जाति आदि का भेदभाव ना करते हुए बहुआयामवाद की शपथ लेता रहेगा।
10. बहुआयामवाद जातिवाद धर्मवाद परिवारवाद क्षेत्रवाद में विश्वास ना करते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहेगी।

Multidimensionalism

1. Activists of multidimensionalism will continue to act like a catalytic catalyst by becoming inactive like a germ.
2. Multidimensionalism will continue to grow on the ideology of Gandhism, Ambedkarism and against Britishism.
3. Multidimensionalism will continue to make Indians dependent on Indian indigenous agriculture and technology animals.
4. Multidimensionalism will continue to respect the workers of any Indian political parties.
5. All political work of multidimensionalism will continue to be done under the party and Indian Constitution.
6. Multidimensionalism will continue to formulate important political strategies on government departmental committees.
7. Multidimensionalism will not compromise in any way to play the role of opposition.
8. Multidimensionalism will continue to make important political strategies in the field of education, technology and research.
9. Any worker of multidimensionalism, irrespective of religion, gender, caste etc. will continue to take oath of multidimensionalism.
10. Without believing in multidimensionalism, casteism, theism, familism, regionalism, it will continue to move forward.



संगठन / पार्टी का नाम:-

पार्टी का नाम हिंदी में होगा:- बहु-अयामी पार्टी (बी.ए.पी.)

अंग्रेजी में मल्टी-डैमेन्सिओनल (एम.डी.पी.)

पार्टी का प्रतीक आवंटित

पार्टी का आवंटित चिन्ह अंग्रेजी में (टेस्ट ट्यूब) हिंदी में भी हो सकता है (परखनली) उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग पर निर्भर करता है।

पार्टी की नीति

बहुआयामी राजनीतिक दल भारत के संविधान के लिए स्थापित कानून और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगा। पार्टी सभी वर्गों के बीच समानता पैदा करने का प्रयास करेगी और

एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज और बहुआयामीवाद की स्थापना करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा, तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा देना और एकता को खतरे में डाले बिना केंद्र की समग्र संप्रभुता के अधीन भारतीय उपमहाद्वीप में राज्यों के लिए अधिक स्वायत्त शक्तियों के लिए प्रयास करना। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्र की अखंडता।

"बहुआयामी पार्टी यह समझती है कि भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों की एक संघीय और गणतंत्रात्मक भौगोलिक इकाई है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं की मांगों को पूरा करने के लिए और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि केंद्र और राज्य संबंधों को फिर से परिभाषित करके भारतीय संवैधानिक संरचना को एक वास्तविक संघीय आकार दिया जाए और अधिकार"

बुनियादी दर्शन

पार्टी का मूल दर्शन होगा। आपके होंठ बोलने के लिए स्वतंत्र हैं (बोल की लब आजाद हैं तेरे और अब राजा वही बनेगा जो उसका असली मालिक होगा (अब राजा वही बनेगा जो उसका असली हकदार होगा)

सिद्धांतों

- लोकतंत्र,
- धर्मनिरपेक्षता
- गरीबों की समानता और उत्थान
- समाजवाद
- बहुआयामीवाद

पार्टी का उद्देश्य

"हम, भारत के लोग, भारत को संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में गठित करने और उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता; स्थिति और अवसर की समानता; और उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली सभी बंधुता को बढ़ावा देना;

सामाजिक के अधिकारों, न्याय, स्वतंत्रता और प्रगति को सुरक्षित करने के लिए

लोगों और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अपनी प्रतिभा के अनुसार।

भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत लोगों के विकास और लाभ और सभी को न्याय के लिए राज्य का निर्माण करना।

Name of the Organisation/Party:-

The name of the party will be in Hindi:- **Bahu-Ayami Party (B.A.P)**

In English **Multi-dimensional Party (M.D.P)**

Allotted symbol of the Party

The allotted symbol of the Party will may be in English (**Test Tube**) also in Hindi (Parakhnali) depends upon Election Commission of Uttar Pradesh.

Party policy

The **Multidimensional Political Party** shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and to the principles of Socialism, Secularism and Democracy and will 'uphold the Sovereignty, Unity and Integrity of India. The Party will strive to create equality among all classes and

to establish a democratic socialist society and Multidimensionalism, to promote the Education, Technique & Research to strengthen the democratic system and to strive for more autonomous powers for the States in the Indian Sub-continent subject to overall sovereignty of the Centre without jeopardising the Unity and Integrity of the Nation in accordance with the Constitution of India.

"Multidimensional Party realizes that India is a federal and republican geographical entity of different languages, religions and cultures. To safeguard the fundamental rights of the religious and linguistic minorities, to fulfill the demands of the democratic traditions and to pave the way for economic progress it has become imperative that the Indian constitutional structure be given a real federal shape by redefining the Centre and State relations and rights"

Basic philosophy

The shall be the basic philosophy of the Party. Your lips are free to speak (Bol ki lab Ajad hain tere

Now the king will become the one who will be his rightful owner (Ab Raja vahi banega jo uska asli hakdar hoga.

Principles

- Democracy,
- Secularism
- Equality and upliftment of the poor.
- Socialism
- Multidimensionalism

Objective of the party

"We, **THE PEOPLE OF INDIA**, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens:

Justice, social, economic and political; Liberty of thought, expression, belief, faith and worship; Equality of status and opportunity; and promote among them all Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;"

To secure the rights, justice, liberties and progress of the social.

People and for their all round development according to their own genius.

To build up the State for the development and benefit of the people and justice to all as guaranteed by the Constitution of India.



जनजातीय लोगों, विशेष रूप से, और सामान्य रूप से राज्य के आधुनिक तकनीकों और कौशल में सार्वभौमिक शिक्षा और कठोर उन्नत शिक्षा की त्वरित प्राप्ति के लिए प्रयास करना।

सामाजिक लोगों की पहचान को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए और विशेष रूप से उनके हितों की रक्षा के लिए, विशेष रूप से उनके आर्थिक विकास के लिए भूमि, जंगल, खनिज और इस तरह के अन्य संसाधनों के लिए उनके अपरिहार्य अधिकारों के संबंध में।

पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करना।

उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने और राज्य को सही क्षेत्रों और उन निकटवर्ती क्षेत्रों को बहाल करने के लिए जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के आदिवासी लोगों से संबंधित हैं।

सार्वजनिक मामलों के संचालन में चरित्र, ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुशासन और निष्पक्षता को बढ़ावा देना।

जीवन के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करना और शासन की एक नई प्रणाली शुरू करके एक न्यायपूर्ण और स्वच्छ प्रशासन स्थापित करना।

बहुआयामी पार्टी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न कार्य करने के लिए प्रयास करती रहेगी।

एक ऐसी न्यायपालिका का निर्माण करना जो सभी नागरिकों को समयबद्ध उचित न्याय दिलाए जोकि संपूर्ण भारत के जनपद स्तर से उतारकर तहसील स्तर तक लाने का प्रयास करती रहेगी।

ऐसी शिक्षा प्राणी का निर्माण करना जो प्रयोगात्मक होते हुए सभी भारतीय नागरिकों को अपनी जीवन यापन करने और सीखने के समान अवसर उपलब्ध कराती रहे जोकि स्वदेशी शिक्षाप्रणाली, योजनाओं पर निर्भर करे। भारतीय कृषि व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य, विज्ञान, उद्योग, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सभी में एक मजबूत तालमेल स्थापित करने के लिए नई नई रणनीतियां बनाने का प्रयास करती रहेगी।

राष्ट्रपति हो या मजदूर की संतान शिक्षा हो सबको एक समान ” सिद्धान्त के तहत ‘ समान एवं अनिवार्य शिक्षा ‘ जिसमें सभी के लिए समान पाठ्यक्रम , समान माध्यम एवं समान मूल्यांकन प्रणाली एवं विशेष रूप से भारतीय संविधान के अध्ययन व अध्यापन को बढ़ावा दिया जाने के लिए प्रयास करती रहेगी।

उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता घोषित करके वहाँ आरक्षण व्यवस्था मानक के अनुसार लागू करने का प्रयास तथा युवा की प्रतिभाओं को निखारने को लिए विदेशी विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालयों का निर्माण किए जाने लगातार प्रयास करती रहेगी जो कि प्रदेश स्तर से घटाकर प्रत्येक जनपद तक लाने का प्रयास होता रहेगा।

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आईएस , आईपीएस , पीसीएस आदि सिविल सर्विस के लिए एससी / एसटी / ओबीसी / माइनॉरिटीज़ के लिए खुला साक्षात्कार कराने का प्रयास कराती रहेगी ताकि समस्त समुदाय जाति धर्म के साथी अपनी योग्यता अनुसार अपने पदों को ग्रहण कर सकें।

सभी भारतीय नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कराने के लिए व अपनी क्षमताओं का उपयोग राष्ट्र निर्माण में कराने के लिए प्रयास करती रहेगी।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में कानून विधि व संविधान की अपार कमी को देखते हुए भारतीय शिक्षण प्राणी में संविधान का शिक्षण को अनिवार्य कराने की भरपूर कोशिश करती रहेगी।

To strive for speedy attainment of Universal Education and rigorous advanced learning in modern technologies and skills of the tribal people, in particular, and of the State, in general.

To safeguard and preserve the identity of the social people and in particular to protect their interest, especially in respect of their inalienable rights to land, forest, minerals and such other resources germane to their economic development.

To endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests, lakes, rivers and wildlife.

To ensure the territorial integrity of Uttar Pradesh and restore to the State the rightful areas and those contiguous areas predominantly inhabited by the tribal people ethnically related to those of Uttar Pradesh.

To promote character, probity, transparency, accountability, discipline and fairness in the conduct of public affairs.

To strive towards self-reliance in all walks of life and to install a just and clean administration by introducing a new system of governance.

The multidimensional party will continue to endeavor to do the following to achieve its objectives.

To create an efficient executive, judiciary, legislature, who will try to keep the work of protecting the interests of the public in a fixed time interval.

To create such a judiciary that will provide timely justice to all citizens, which will continue to make efforts to bring the whole of India from the district level to the tehsil level.

To create such an educational creature which, being experimental, provides equal opportunities to all Indian citizens to live and learn, which depends on the indigenous education system, schemes.

The Indian agricultural system will continue to strive to devise new strategies to establish a strong synergy between trade, commerce, science, industry, technology and environment.

Be it the President or the children of the laborer, education should be done under the principle of 'Equal and Compulsory Education' for all, in which the same curriculum, same medium and same evaluation system for all and especially to promote the study and teaching of the Indian Constitution. Will keep trying

By declaring autonomy in higher education institutions, efforts will be made to implement the reservation system according to the standard and to nurture the talents of the youth, it will continue to make efforts to build universities in India on the lines of foreign universities, which will be reduced from the state level to each district. Will try to bring it.

At each district headquarters, IS, IPS, PCS etc. will continue to make efforts to conduct open interviews for SC / ST / OBC / Minorities for civil services so that all community members of caste religion can take up their posts according to their qualifications.

To make all Indian citizens fully aware of their rights and duties and will continue to make efforts to use their capabilities in nation building.

In view of the immense lack of law, law and constitution in the Indian education system, the Indian education system will continue to make every effort to make the teaching of the constitution mandatory.



पार्टी अपनी विचारधारा को उपरोक्त मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कमजोर वर्गों के शोषण को समाप्त करने और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से वंचितों के दमन के लिए एक आंदोलन के रूप में और अपनी राजनीतिक गतिविधि और शासन में भागीदारी को आगे बढ़ाने के एक साधन के रूप में मानेगी। आंदोलन और इस तरह के बदलाव में लाना।

पार्टी का प्रचार

पार्टी का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, संस्कृति, कृषि, क्षेत्रों, शैक्षिक, तकनीकी, अनुसंधान में भारत का सर्वांगीण विकास करना और भारत को बहुआयामी, बहुआयामी को ध्यान में रखते हुए वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना होगा। बहुजातीय, समृद्ध संस्कृति और भारत की विरासत।

पार्टी का झंडा

दल का झंडा सफेद और काले रंग का होगा, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से डेढ़ गुना होगी। झंडे के बीच में एक परखनली होगी और आओ और परीक्षण करो। झंडे के ऊपर और नीचे का रंग काला और बीच में सफेद होगा जिसमें झंडे के ऊपर अंग्रेजी मल्टीडायमेंशनल पार्टी में पार्टी का नाम लिखा होगा और नीचे की तरफ हिंदी बहु-अयामी पार्टी में भी लिखा होगा।

पार्टी / संगठन संरचना

1. प्रभारी
2. उपप्रभारी
3. नियंत्रक
4. उपनियंत्रक
5. सलाहकार
6. उपसलाहकार
7. अध्यक्ष
8. उपाध्यक्ष
9. गोपनीयक
10. उपगोपनीयक
11. महासचिव
12. सचिव
13. कोषाध्यक्ष
14. उपकोषाध्यक्ष
15. संग्राहक
16. उपसंग्राहक
17. महाप्रवक्ता
18. प्रवक्ता
19. संदेशक
20. उपसंदेशक
21. मीडिया प्रभारी
22. उपमीडिया प्रभारी
23. सह-मीडिया प्रभारी
24. प्रोत्साहक
25. उपप्रोत्साहक

The party shall regard its ideology as a movement for ending exploitation of the weaker sections and suppression of the deprived through social and economic change in keeping with the above stated chief aim, and its political activity and participation in governance as an instrument of furthering such a movement and bringing in such a change.

Party Propaganda

The Aim of the party shall be to make all round development of India in the political, economic, industrial, social, culture, Agricultural, sectors, educational, technical, research and to establish India as global power keeping in view the **Multidimensional**, multifaceted, multiethnic, rich culture and heritage of India.

Party Flag

The flag of the party shall be a white & black flag of which the length shall be one-and-a-half time its width. There will be a test tube between on the flag and written come and test. The top and bottom colour of the flag will be black and inbetween white in which top of the flag will be written name of the party in English **Multidimensional Party** and also in the bottom in Hindi **Bahu-Ayami Party**.

Party/Organization Structure

1. Incharge
2. Deputy Incharge
3. Controller
4. Subcontract
5. President
6. Vice President
7. Confidential
8. Deputy Confidential
9. Advisor
10. Deputy Advisor
11. General Secretary
12. Secretary
13. Treasurer
14. Deputy Treasurer
15. Collector
16. Sub Collector
17. General Spoker
18. Spoker
19. Messenger
20. Sub Messenger
21. Media Incharge
22. Sub Media Incharge
23. Co-Media Incharge
24. Promoter
25. Deputy Promoter



पार्टी अनुशासन प्रभारी के कार्य

पार्टी की योजनाओं और विज्ञान के अनुपालन के तरीकों और समय सीमा के लिए लक्ष्य निर्धारित करना

वर्कफ्लो का आयोजन और यह सुनिश्चित करना कि पदाधिकारी अपने कर्तव्यों या प्रत्यायोजित कार्यों को समझें

पदाधिकारी उत्पादकता की निगरानी करना और रचनात्मक प्रतिक्रिया और कोचिंग प्रदान करना

नियंत्रक के कार्य

- वित्तीय नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रणों और रिपोर्टिंग सिस्टमों की स्थापना करके वित्तीय परिसंपत्तियों पर अधिकतम प्रतिपूर्ति करता है।
- नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना, निगरानी और उन्हें लागू करके वित्तीय निर्णय लेता है।
- आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना, निगरानी और उन्हें लागू करके संपत्ति की रक्षा करता है।
- ऑडिट आयोजित करके और बाहरी लेखा परीक्षकों को जानकारी प्रदान करके वित्तीय स्थिति की निगरानी और पुष्टि करना है।
- बैंक बैलेंस को कम करने और निवेश करने से नकदी पर जोखिम को अधिकतम और सीमित करता है।
- शेड्यूल स्थापित करके बजट तैयार करता है; वित्तीय डेटा एकत्र करना, विश्लेषण करना और समेकित करना; योजनाओं की सिफारिश करना।
- व्यय का समय निर्धारण करके बजट के उद्देश्यों को प्राप्त करना है विश्लेषण करने वाले संस्करण; सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करना।
- वित्तीय आंकड़ों को एकत्रित, व्याख्या और रिपोर्ट करके वित्तीय स्थिति की स्थिति प्रदान करना है।
- सूचनाओं और प्रवृत्तियों का संग्रह, विश्लेषण और सारांश करके विशेष रिपोर्ट तैयार करना है।
- मौजूदा और नए कानून का अध्ययन करके, भविष्य के कानून का अनुमान लगाने, आवश्यकताओं का पालन करने, वित्तीय रिपोर्ट दाखिल करने और आवश्यक कार्यों पर प्रबंधन को सलाह देकर संघीय, राज्य और स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं के साथ शिकायत करना है।
- निवारक रखरखाव आवश्यकताओं और सेवा अनुबंधों की स्थापना, उपकरण सूची को बनाए रखने और नए उपकरणों और तकनीकों का मूल्यांकन करके उपकरणों के संचालन को सुनिश्चित करना है।
- पदाधिकारी की समय-सारिणी और असाइनमेंट द्वारा परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करता है; काम के परिणामों पर निम्नलिखित।
- पदाधिकारी की भर्ती, चयन, उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कर्मचारियों द्वारा वित्तीय पदाधिकारी को बनाए करना है।
- कोचिंग, परामर्श और पदाधिकारी को अनुशासित करके वित्तीय स्टाफ की नीति के परिणाम बनाए रखता है; नीति के परिणामों की योजना, निगरानी और मूल्यांकन।
- वित्तीय जानकारी और योजनाओं को गोपनीय रखकर संचालन की सुरक्षा करना है।

Party Discipline

Work of Incharge

Setting goals for performance and deadlines in ways that party with company's plans and vision

Organizing workflow and ensuring that employees understand their duties or delegated tasks

Monitoring employee productivity and providing constructive feedback and coaching

Work of Controller

- Maximizes return on financial assets by establishing financial policies, procedures, controls, and reporting systems.
- Guides financial decisions by establishing, monitoring, and enforcing policies and procedures.
- Protects assets by establishing, monitoring, and enforcing internal controls.
- Monitors and confirms financial condition by conducting audits and providing information to external auditors.
- Maximizes return and limits risk on cash by minimizing bank balances and making investments.
- Prepares budgets by establishing schedules; collecting, analyzing, and consolidating financial data; recommending plans.
- Achieves budget objectives by scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective actions.
- Provides status of financial condition by collecting, interpreting, and reporting financial data.
- Prepares special reports by collecting, analyzing, and summarizing information and trends.
- Complies with federal, state, and local legal requirements by studying existing and new legislation, anticipating future legislation, enforcing adherence to requirements, filing financial reports, and advising management on needed actions.
- Ensures operation of equipment by establishing preventive maintenance requirements and service contracts, maintaining equipment inventories, and evaluating new equipment and techniques.
- Completes operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results.
- Maintains financial staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees.
- Maintains financial staff job results by coaching, counseling, and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results.
- Protects operations by keeping financial information and plans confidential.



अध्यक्ष:-

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना.
2. पारित बजट के अंतर्गत व्यय की स्वीकृति देना.
3. सदस्यों के नामांकन पर विचार ,सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना.
4. समान मत होने पर निर्णायक मत देना.
5. बैठक में शांति व्यवस्था कायम रखना.
6. पार्टी का समस्त पत्र व्यवहार करना.
7. मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना ,अभिलेख ,प्रपत्र सुरक्षित रखना.
8. राजकीय सहायता अनुदान ऋण प्राप्त करना.
9. समस्त चल अचल संपत्ति की रक्षा करना ,उस पर नियंत्रण रखना.
10. वैतनिक कर्मचारियों/शिक्षकों की नियुक्ति ,निष्कासन ,पदोन्नति ,वेतन वृद्धि ,निलंबन व बहाली करना.
11. पार्टी की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना.
12. पार्टी की ऑडिट व्यवस्था करना.
13. पार्टी से सम्बन्धित समस्त बिल व वाउचरों अनुबंध पत्रों ,आहरण पत्रों ,नियुक्ति पत्रों ,लेखों-विलेखों ,बंधन पत्रों ,ऋण पत्रों ,डिमांड पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना.
14. पार्टी की ओर से अदालती कार्यवाही करना.
15. लंबी दूरी की, रणनीतिक योजना।
16. पार्टी की नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास, प्रवर्तन और पुनर्मूल्यांकन करें।
17. नियमित रूप से बजट और वित्तीय रिपोर्ट का विश्लेषण करें।
18. पार्टी की लाभप्रदता बढ़ाने और प्रगति के शीर्ष पर बने रहने के लिए लगातार योजना बनाएं।
19. बैंकों और अन्य समुदाय और उद्योग के नेताओं के साथ संबंध बनाएं और बनाए रखें।
20. समीक्षा करें और अनुबंधों पर सलाह दें।
21. निवेश / निवेशकों, भागीदारी, गठबंधनों और विलय के अवसरों की तलाश करें।
22. आत्मविश्वास के साथ पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नेतृत्व मुद्रा और निर्णय लेने का कौशल प्रदर्शित करें।
23. जानकारी हों, और पार्टी की कार्यवाइयों के कर देनदारियों, निहितार्थ और छूट पर ध्यान दें।
24. निदेशक मंडल को रिपोर्ट करें और बोर्ड की बैठकों में अध्यक्षता करें।

अध्यक्ष:

वह सामान्य निकाय की अध्यक्षता और संचालन करेगा और कार्यकारी समिति की बैठकों उनकी अनुपस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता और संचालन एक द्वारा किया जाएगा सदस्यों की।

President

- 1-To preside over all the meetings.
- 2- Approval of expenditure under the passed budget.
- 3- Consideration of nomination of members, granting permission to become a member.
- 4- Do not vote decisively if there is a similar opinion.
- 5- Maintaining peace in the meeting.
- 6- To do all correspondence of the party.
- 7-Working as Chief Executive, keeping records, forms safely.
- 8- Obtaining state aid grant loan.
- 9 - To protect and control all movable immovable property.
- 10-Appointment, removal, promotion, increment, suspension, and reinstatement of paid employees/teachers.
- 11- Expenditure as required in anticipation of the approval of the committee.
- 12- To arrange an audit of the institution.
- 13- Signing of all bills and vouchers, contract papers, withdrawal letters, appointment letters, deeds, bond papers, loan letters, demand letters, etc. related to the institution.
- 14- To take court proceedings on behalf of the institution.
- 15-Long-range, strategic planning.
- 16-Develop, enforce and reevaluate company policies and procedures.
- 17-Analyze budgets and financial reports regularly.
- 18-Continually plan ways to increase the party profitability and stay on top of progress.
- 19-Create and maintain relationships with bankers and other party and industry leaders.
- 20-Review and advice on contracts.
- 21-Look for opportunities for investment/investors, partnerships, alliances and mergers.
- 22-Display leadership posture and decision-making skills to lead the party with confidence.
- 23-Be knowledgeable of, and pay attention to, tax liabilities, implications and exemptions of party actions.
- 24-Report to the board of directors and preside at board meetings.

Chairman:

He will preside over and conduct the General Body and the Executive Committee Meetings. In his absence, the meeting shall be presided over and conducted by one of the members.



उपाध्यक्ष के कार्य :- उपाध्यक्ष कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

उपाध्यक्ष के पास अपने पार्टी की जरूरतों के आधार पर विशिष्ट जिम्मेदारियाँ होती हैं।

एक महत्वपूर्ण पार्टी की प्रमुख इकाइयाँ, विभाग या संचालन, जैसे कि एक मोटर वाहन कंपनी में दुनिया भर में विनिर्माण का वीपी या एक बीमा संगठन में परिचालन जोखिम प्रबंधन का उपाध्यक्ष

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और पार्टी के लिए प्रतिबद्धता बनाएं, जिसके लिए पार्टी कानूनी रूप से उत्तरदायी है।

अध्यक्ष -के नेतृत्व वाली टीम में भाग लें जो संगठन के समग्र दृष्टिकोण, मिशन, मूल्यों, विश्वासों और रणनीतिक लक्ष्यों को बनाता है।

लीड, गाइड, डायरेक्ट, और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर डायरेक्टर्स और मैनेजर्स सहित अन्य एक्जीक्यूटिव लीडर्स के काम का मूल्यांकन करते हैं।

रणनीतिक योजना को तैयार करना और लागू करना जो एक टीम के व्यवसाय की दिशा या कार्यात्मक जिम्मेदारी के क्षेत्र को निर्देशित करता है, जैसे कि रणनीतिक विपणन योजना विकसित करना।

रणनीतिक योजनाओं द्वारा निर्धारित व्यवसाय की बिक्री और लाभप्रदता आवश्यकताओं में योगदान करें।

पार्टी की सफलता का मूल्यांकन करें। क्या पार्टी उस समग्र सफलता को प्राप्त करता है जिसके लिए बजट बनाया गया था, जिसके लिए योजना बनाई गई थी, और उसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि नहीं, तो उपाध्यक्ष यह बताता है कि पार्टी को कैसे पटरी पर लाया जाए।

दोनों बाहरी और आंतरिक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य, विस्तार के अवसर, ग्राहकों, बाजारों और नए उद्योग के विकास और मानकों के बारे में जागरूकता बनाए रखें। किसी भी अवसर के बारे में जागरूक रहें जो पार्टी लाभ उठा सकती है और अपने लाभ के लिए पीछा कर सकता है।

1. अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग देना।
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके प्रदत्त दायित्वों की पूर्ति करना

गोपनीयक के कार्य:-

गोपनीय सचिव दस्तावेजों से निपटते हैं जिन्हें कार्यालय में किसी को भी नहीं देखना चाहिए। क्रियाओं में प्रबंधन का व्यक्तिगत पत्राचार टाईप करना, संवेदनशील कागजी कार्रवाई दायर करना, आसानी से उपलब्ध आंकड़े खींचना, कुछ प्रकार के मेल खोलना, बजट अपडेट करना, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स को समेटना, कर्मचारी फाइलों का प्रबंधन करना और आंतरिक रिपोर्ट संकलित करना शामिल हो सकते हैं।

कई सभाओं में कार्यालय के कर्मचारियों से किसी को नोट्स लेने या प्रस्तुतियाँ करने की आवश्यकता होती है। नेता गोपनीय सचिवों पर भरोसा करते हैं कि वे जो कुछ भी देखते या सुनते हैं, उसका खुलासा किए बिना इन कार्यों को करने के लिए।

ऊपरी स्तर के सहायकों के रूप में, गोपनीय सचिवों को अक्सर अन्य कार्यालय सहायकों की निगरानी करने के लिए कहा जाता है। वे कार्य सौंप सकते हैं, नए किराए को प्रशिक्षित कर सकते हैं और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। स्पष्ट निर्देश प्रदान करने की क्षमता बहुत जरूरी है।

Work of Vice-President Vice President Duties & Responsibilities

The vice president has specific responsibilities depending on the needs of his or her party.

Lead significant units, departments, or operations of a total party, such as VP of worldwide manufacturing in an automotive company or VP of operational risk management in an insurance party.

Sign documents and make commitments for the party for which the party is legally liable.

Participate on the president- or CEO-led team that creates the party's overall vision, mission, values, beliefs, and strategic goals.

Lead, guide, direct, and evaluate the work of other executive leaders, including assistant vice presidents, senior directors, and managers.

Formulate and implement the strategic plan that guides the direction of a team's business or its area of functional responsibility, such as developing a strategic marketing plan.

Contribute to the sales and profitability requirements of the business as determined by the strategic plans.

Evaluate the success of the party. Does the party achieve the overall success that was budgeted for, planned for, and aimed to accomplish? If not, why not? If not, the VP addresses how to get the party back on track.

Maintain awareness of both the external and internal competitive landscape, opportunities for expansion, customers, markets, and new industry developments and standards. Be aware of any opportunities the party can leverage and pursue for its advantage.

- 1- To cooperate in the work of the Chairman.
- 2- To fulfill the responsibilities conferred on him in the absence of the Chairman.

Work of Confidential

Confidential secretaries deal with documents that shouldn't be seen by just anyone in the office. Actions may include typing a manager's personal correspondence, filing sensitive paperwork, pulling figures that aren't readily available, opening certain types of mail, updating budgets, reconciling credit card statements, managing employee files, and compiling internal reports.

Many gatherings require someone from the office staff to take notes or set up presentations. Leaders trust confidential secretaries to perform these tasks without disclosing what they see or hear.

As upper-level assistants, confidential secretaries often are called upon to monitor other office helpers. They may assign tasks, train new hires, and give feedback. The ability to provide clear instructions is a must.



सलाहकारों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

सलाहकार की भूमिका एक निष्क्रिय के बजाय एक सक्रिय है और सलाह देने की प्रक्रिया के लिए सलाह के रूप में सौंपे गए प्रत्येक साथी के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना आवश्यक है:

यदि उपयुक्त हो तो प्रत्येक सेमेस्टर और पार्टी के लिए नियोजन के माध्यम से यथार्थवादी शैक्षिक कैरियर योजनाओं को परिभाषित करने और विकसित करने में साथियों की मदद करें। प्रत्येक साथी के पास उच्च स्तर की राजनीति की योजना होनी चाहिए।

(फ्रेशमेन सलाह (पार्टी शैक्षणिक जीवन के लिए प्रारंभिक समायोजन के साथ साथी की सहायता करने के लिए अभिविन्यास के दौरान सलाह के साथ मिलो। पहले शैक्षणिक वर्ष में विशेष सत्र निर्धारित किए जाने चाहिए।

(निरंतर सलाह के लिए (आने वाले सेमेस्टर) या गर्मी (की योजना बनाने और लंबी अवधि के शैक्षणिक कार्यक्रम की समीक्षा / संशोधन करने के लिए साथियों को जारी रखने के लिए कम से कम एक बार प्रत्येक सेमेस्टर से मिलें। अपनी क्षमताओं और रुचियों के अनुरूप कार्यक्रम की योजना बनाने में साथियों की सहायता करें।

शैक्षिक / राजनीतिक के लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करें और प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रम को पूरा करने और ग्रेड और अन्य प्रदर्शन संकेतकों पर चर्चा करने की दिशा में प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम एक बार मिलें।

निर्देशात्मक कार्यक्रम और व्यवसाय / कैरियर के बीच संबंधों और संबंधों पर चर्चा और सुदृढ़ करना।

पार्टी नीतियों, प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं के लिए व्याख्या करना और औचित्य प्रदान करना।

असंतोषजनक कार्य (खराब उपस्थिति के लिए कक्षा परीवीक्षा की सूचना, एफए और / या असफल ग्रेड, पिछले सेमेस्टर) एस(, आदि से अपूर्ण ग्रेड (की किसी भी रिपोर्ट पर सलाह के साथ अनुवर्ती। राजनीतिक परीवीक्षा पर रखे जाने वाले साथियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभी नामित शैक्षिक लेनदेन (जैसे, पूर्व-पंजीकरण / पंजीकरण अनुसूची, ड्रॉप / जोड़ता है, निकासी, प्रमुख और सलाहकार का परिवर्तन, छूट, स्नातक आवश्यकताएं आदि (को स्वीकार करें।

एक व्यक्ति के रूप में साथी में व्यक्तिगत रुचि को रेखांकित करने के लिए अनौपचारिक आउट-ऑफ-क्लास / कार्यालय संपर्क बनाने का प्रयास करें।

अप-टू-डेट सलाह देने वाले पोर्टफोलियो को बनाए रखें, जिसमें प्रदर्शन का दिनांक) ग्रेड रिपोर्ट, प्रतिलेख, आवश्यकताओं को पूरा करना आदि (का एक सारांश रिकॉर्ड है, सम्मेलनों की तारीखें, विशेष परिस्थितियों की अधिसूचना, अप-टू-डेट मेरा स्टॉप जानकारी और विवरण, आदि।

सूचित करें और, यदि आवश्यक हो, तो साथियों को अन्य संस्थागत संसाधनों का संदर्भ दें जब अकादमिक, अभिवृत्ति, उपस्थिति, या अन्य व्यक्तिगत समस्याओं को अन्य पेशेवरों द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।) जैसे, अकादमिक विकास कार्यालय, अकादमिक सेवा, व्यक्तिगत परामर्श,) आदि

Roles and Responsibilities of Advisors

The advisor's role is an active rather than a passive one and the process of advising requires the following objectives to be met for each member assigned as an advisee:

Help members define and develop realistic political career plans through schedule planning for each semester and summer office, if appropriate. Each member should have an up-to-date academic schedule plan through to graduation.

(Freshmen advisees) Meet with advisee during orientation to assist members with initial adjustment to office academic life. Special sessions should be scheduled throughout the first academic year.

(For continuing advisees) Meet at least once each semester with continuing members to plan for the coming semester (or summer) and to review/revise long range academic program schedules.

Assist members in planning a program consistent with their abilities and interests.

Monitor progress toward political/career goals and meet at least once each semester to review the progress toward completing the proposed academic program and to discuss grades and other performance indicators. Discuss and reinforce linkages and relationships between instructional program and political/career.

Interpret and provide rationale for political policies, procedures, and requirements.

Follow-up with the advisee on any report of unsatisfactory work (notice of class probation for poor attendance, notice of FA and/or failing grades, incomplete grades from past semester(s), etc.). Special attention should be paid to members who are placed on academic probation.

Approve all designated political transactions (e.g., pre-registration/registration schedule, drops/adds, withdrawals, change of major and advisor, waivers, graduation requirements, etc.)

Try to make informal out-of-class/office contacts to underscore personal interest in the members as an individual.

Maintain an up-to-date Advising Portfolio, with a summary record of performance to date (grade reports, transcript, requirements completed, etc.), dates of conferences, notation of special circumstances, up-to-date My Stuff information and details, etc.

Inform and, if necessary, refer members to other political resources when academic, attitudinal, attendance, or other personal problems require intervention by other professionals. (e.g., Office of Academic Development, Academic Services, Personal Counseling, etc.)



नियमित रूप से संपर्क करें और नियमित रूप से साथियों की सलाह के लिए उपलब्ध रहें। कार्यालय के समय को सलाहकार के कार्यालय के दरवाजे पर पोस्ट किया जाना चाहिए और अधिमानतः सेमेस्टर में प्रारंभिक को दिया जाना चाहिए। सलाहकारों को पूर्व पंजीकरण सलाह के दौरान विस्तारित घंटों की योजना बनानी चाहिए।

अप-टू-डेट जानकारी रखने के लिए संकाय के सहयोगियों के साथ नियमित रूप से परामर्श करें। राजनीतिक और स्नातक पार्टी विकल्पों के लिए, सलाहकारों को कैरियर विकास केंद्र को सलाह का उल्लेख करना चाहिए जब अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है।

महासचिव और सहायक के कर्तव्य

कांग्रेस, केंद्रीय समिति, कार्यकारी समिति या वित्त समिति, महासचिव के निर्देश के अधीन:

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करें।

कांग्रेस, केंद्रीय समिति और कार्यकारी समिति की नीति और निर्णय को लागू करें।

हर समय और हर दृष्टि से फेडरेशन के हितों की रक्षा करना और उसका कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

क्षेत्रीय और परियोजना प्रतिनिधि प्रतिनिधियों की नियुक्ति सहित संचालन और निर्देशन और सभी कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के मुद्दों को संभालने सहित फेडरेशन के सामान्य प्रशासक के रूप में कार्य करें।

यदि आवश्यक हो, तो कांग्रेस से पहले, कांग्रेस की तैयारी के काम के लिए केंद्रीय समिति द्वारा स्थापित समितियों की बैठकें बुलाएं।

फेडरेशन के वित्तीय प्रशासन को प्रत्यक्ष करें, जिसमें संबद्धों से वार्षिक बकाया राशि का संग्रह शामिल है, और फेडरेशन को शामिल करते हुए सभी वित्तीय और अन्य व्यावसायिक संचालन और लेनदेन को प्रत्यक्ष और कार्यान्वित करता है।

सभी उचित वित्तीय खातों और रिकॉर्ड को चालू रखें, जिसमें फेडरेशन की नीतियों और नियमों के अनुसार सभी आय और सवितरण के संबंध में जानकारी शामिल है।

अध्याक्ष, विभाग प्रमुखों के परामर्श से नियुक्ति करें।

कर्मचारी जो कि महासचिव के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो उन्हें सौंपे जा सकते हैं।

इन नियमों में निर्धारित अतिरिक्त कार्य करें या जैसा कि कांग्रेस, केंद्रीय समिति, या कार्यकारी समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है, या अध्याक्ष के साथ सहमति व्यक्त की जा सकती है।

असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, जब तक अन्यथा फेडरेशन व्यवसाय में शामिल नहीं होंगे, या अनुपलब्ध रहेंगे, कांग्रेस, केंद्रीय समिति और कार्यकारी समिति की सभी बैठकों में भाग लेंगे। वे ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो अध्याक्ष के सहयोग से महासचिव द्वारा उन्हें सौंपे जा सकते हैं।

Proactively contact and be available for member's advisees on a regular basis. Office hours should be posted on the advisor's office door and preferably given to the advisee early in the semester. Advisors should plan for extended hours during pre-registration advising. Consult regularly with officers colleagues in order to have up-to-date information. For career and graduate office options, advisors should refer advisees to the political Development Center when more information is needed.

Work General Secretary

Duties of the General Secretary and Assistant General Secretaries

Subject to the direction of the Congress, Central Committee, Executive Committee or Finance Committee, the General Secretary shall:

Act as the principal spokesperson of the Party.

Implement the policy and decisions of the Congress, Central Committee and the Executive Committee.

Safeguard at all times and in every respect the interests of the Federation and ensure its legal representation.

Act as the general administrator of the Federation, including managing and directing operations and handling all staff and other personnel issues, including appointment of Regional and Project Office Representatives.

If necessary, prior to Congress, call meetings of the committees that have been established by the Central Committee for the preparation work of Congress.

Direct the financial administration of the Federation, including the collection of annual dues from affiliates, and direct and implement all financial and other business operations and transactions involving the Federation.

Keep all proper financial accounts and records current, including information with respect to all income and disbursements in accordance with Federation policies and Rules.

Appoint, in consultation with the President, Department Heads.

Engage staff who shall be under the control and supervision of the General Secretary and shall perform such duties as may be assigned to them.

Perform such additional functions as are set out in these Rules or as may be determined from time to time by Congress, the Central Committee, or the Executive Committee, or as agreed upon with the President.

The Assistant General Secretaries shall, unless otherwise engaged in Federation business, or unavailable, attend all meetings of Congress, Central Committee and Executive Committee. They shall perform such duties as may be assigned to them by the General Secretary in cooperation with the President.



महासचिव के कार्य-

- 1- सदस्यों के नाम रजिस्टर में लिखना.
- 2- बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना.
- 3- तिथियों में अनुमोदन तिथियों में परिवर्तन एवं बैठकों को स्थगित करना.
- 4- बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना.
- 5- प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णय को कार्यान्वित करना.

कोषाध्यक्ष के कार्य

- 1-आय-व्यय का लेखा.रखना जोखा-
- 2-दान ,चंदा ,सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना.
- 3- पार्टी के आकस्मिक कार्य हेतु 50000/- रुपये तक नकद रखना.
- 4-अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना.

महाप्रवक्ता के कार्य

उच्च शिक्षा व्याख्याताओं को एक विशेषज्ञ विषय क्षेत्र के भीतर शिक्षण, अनुसंधान और प्रशासनिक कर्तव्यों को करने के लिए विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा नियोजित किया जाता है।

व्याख्याता के रूप में सफल होने के लिए, आपको बेहतर सुनने और संचार कौशल का प्रदर्शन करना चाहिए। उत्कृष्ट उम्मीदवार शक्तिशाली व्याख्यान तैयार करने और देने में सक्षम हैं, और उन्हें अपने अनुशासन के अंदर और बाहर पेशेवरों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार होना चाहिए।

विशिष्ट जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

- ✓ आवेदकों का साक्षात्कार लेना
- ✓ व्याख्यान योजना, तैयारी और अनुसंधान
- ✓ पदाधिकारियों के साथ संपर्क और शिक्षण समय
- ✓ पदाधिकारियों के काम की जाँच और आकलन करना
- ✓ ट्यूटोरियल या देहाती काम के माध्यम से व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करना
- ✓ परीक्षाओं का निरीक्षण करना
- ✓ स्टाफ मीटिंग में भाग लेना
- ✓ सामान्य प्रशासन
- ✓ अनुसंधान प्रस्तावों, कागजात और अन्य प्रकाशनों को लिखना
- ✓ अकादमिक/ राजनितिक जर्नल पढ़ना
- ✓ पदाधिकारियों और अनुसंधान कर्मचारियों की देखरेख
- ✓ अनुसंधान बजट का प्रबंधन
- ✓ सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेना और बोलना
- ✓ विभागीय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए बोलियाँ तैयार करना

Managing / Secretary: -

- 1- Write the names of the members in the register.
- 2- To script and narrate the proceedings of the meetings.
- 3- Changes in dates, approval dates and postpone meetings.
- 4- To inform the members in writing.
- 5 - Implement the decision of the Executive Committee.

Work of Treasurer

- 1- Keeping an account of income and expenditure.
- 2- Receipt by receiving donations, donations, membership fees, and depositing the received money in the bank.
- 3- Cash up to Rs.50000/- for contingency work of the committee.
- 4-Paying bills signed by the Speaker.

Work of General Spoker

Higher education lecturers are employed by universities and higher education establishments to undertake teaching, research and administrative duties within a specialist subject area.

To be successful as a Lecturer, you should demonstrate superior listening and communication skills. Outstanding candidates are able to prepare and deliver powerful lectures, and should be willing to collaborate with professionals in and outside of their discipline.

Specific responsibilities include:

- ✓ Typical responsibilities of the job include:
- ✓ Interviewing course applicants
- ✓ Lecture planning, preparation and research
- ✓ Contact and teaching time with students
- ✓ Checking and assessing students' work
- ✓ Encouraging personal development via tutorial or pastoral work
- ✓ Invigilating examinations
- ✓ Attending staff meetings
- ✓ General administration
- ✓ Writing research proposals, papers and other publications
- ✓ Reading academic or Political journals
- ✓ Supervising PhD students and research staff
- ✓ Managing research budgets
- ✓ Attending and speaking at conferences and seminars
- ✓ Preparing bids for funding for departmental research projects



मीडिया प्रभारी के कार्य

- 1- पार्टी का उद्देश्य, पक्ष एवं राय मीडिया के समक्ष रखना।
- 2- अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का आयोजन करना।
- 3- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब मीडिया एवं पत्रकारों का रिकॉर्ड रखना तथा मीडिया के माध्यम से संस्था के उद्देश्य आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करना।
- 4- पार्टी के विकास हेतु अध्यक्ष के निर्देशानुसार पार्टी हित में आवश्यक कार्य करना।

मीडिया प्रबंधक जिम्मेदारियाँ:

विकसित मुद्दों के माध्यम से प्रेस के अवसरों को पहचानें।
प्रेस विज्ञप्ति, सोशल मीडिया, वेबसाइटों और अन्य वितरण चैनलों के माध्यम से प्रसार के लिए सामग्री विकसित करें।
सुनिश्चित करें कि प्रमुख संदेश महत्वपूर्ण व्यावसायिक रणनीतियों के साथ संरेखित हैं।
संगठन के मीडिया संपर्क और औपचारिक प्रवक्ता के रूप में सेवा करें।
प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्रीफिंग आयोजित करें।
नवीनतम मीडिया रुझानों पर अप-टू-डेट रखने के लिए मीडिया बाजार को स्कैन करें।
ऑनलाइन और ऑफ़लाइन अभियानों की निगरानी करें, और परिणामों पर रिपोर्ट करें।
प्रतिस्पर्धी सौदों को बंद करने के लिए मीडिया चैनलों के साथ बातचीत करें।
संगठन के सोशल मीडिया प्रोफाइल और उपस्थिति का निर्माण और प्रबंधन करें।
नए उत्पाद लॉन्च का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
मीडिया प्रभावितों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाएं।
संगठन के मीडिया बजट का उचित प्रबंधन करें।

संदेशक के कार्य

मैसेंजर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों
दस्तावेजों या वस्तुओं को लेने और वितरित करने के अपने मुख्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैसेंजर विभिन्न कर्तव्यों का पालन करते हैं। हमने इन प्राथमिक मैसेंजर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पहचान करने के लिए विभिन्न लिस्टिंग की जांच की।
प्रत्येक पारी शुरू होने से पहले अपने अनुसूचित और प्रत्याशित प्रसव को स्पष्ट करना।
अपने संबंधित संग्रह बिंदुओं पर पार्सल के लिए लाए जाँच और हस्ताक्षर।
अपने बैग या वाहन में सुरक्षित तरीके से पार्सल को लोड करने के लिए विशेष देखभाल करना।
सबसे प्रभावी मार्गों को तैयार करना और चुनना।
आइटम को ड्रॉप-ऑफ पॉइंट पर ले जाना।
वितरण प्रक्रिया के बारे में प्राप्तकर्ताओं के सवालों का जवाब देना।
यह सुनिश्चित करना कि वितरण पर सभी संबंधित दस्तावेज अपने आप को और प्राप्तकर्ता को हस्ताक्षरित करें।

Work of Media Incharge

- 1- To put the purpose, aspect, and opinion of the institution before the media.
- 2- To organize the press conferences of the Speaker.
- 3- To keep the record of the print, electronic, web media, and journalists and to carry out the work of communicating the objectives of the party to the general public through media.
- 4- To do necessary work in the interest of the institution for the development of the institution as per the instructions of the chairman.

Media Manager Responsibilities:

Identify press opportunities through evolving issues.
Develop content for dissemination via press releases, social media, websites and other distribution channels.
Ensure that key messages align with vital business strategies.
Serve as the party media liaison and formal spokesperson.
Conduct press conferences and briefings.
Scan media marketplace to keep up-to-date on the latest media trends.
Monitor online and offline campaigns, and report on results.
Negotiate with media channels to close competitive deals.
Build and manage the party social media profile and presence.
Promote additional projects to support new product launches.
Build long-term relationships with media influencers.
Appropriately manage the party media budget.

Work of Messenger

Messenger Duties and Responsibilities

To accomplish their main goal of picking up and delivering documents or goods, Messengers perform various duties. We examined various job listings to identify these primary Messenger duties and responsibilities.
Clarifying your scheduled and anticipated deliveries before each shift begins.
Fetching, checking, and signing for parcels at their respective collection points.
Taking special care to load the parcels into your bag or vehicle in a safe manner.
Devising and choosing the most effective routes.
Transporting items to drop-off points.
Answering recipients' questions about the delivery process.
Ensuring that both you and the recipient sign all relevant documentation upon delivery.
Checking to see that you have completed all work allocated for the day.



यह देखने के लिए कि आपने दिन के लिए आवंटित सभी काम पूरे कर लिए हैं।

आपके पंक्ति प्रबंधक को उन डिलीवरी के लिए सलाह देना जो पूरी नहीं हो सकीं।

अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अनुकूल और सहायक बने रहना।

प्रोत्साहक के कार्य

प्रमोटर की नौकरी का विवरण

प्रमोटर एक मार्केटिंग पेशेवर है जो किसी की विशेषताओं को दर्शकों या क्लाइंट के लिए प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है। प्रमोटर दिखाता है कि कैसे काम करता है, उपभोक्ताओं के लिए मनाने के लिए सवाल और प्रयास करता है।

प्रमोटर को आकर्षित करने के लिए जो आपकी आवश्यकताओं से सबसे अधिक मेल खाता है, एक स्पष्ट और सटीक प्रमोटर नौकरी विवरण लिखना बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रवर्तक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों

प्रचारित और सेवाओं पर सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें

उन उपयुक्त उत्पाद को खोजने में ग्राहकों की सहायता करें जिनकी वे तलाश कर रहे हैं

ग्राहकों को उत्पाद चयन पर सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करें

अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध बनाएं, खरीद विकल्प सुझाएं और उन्हें आगामी घटनाओं के लिए आमंत्रित करें

ग्राहक के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए लगातार नए उत्पाद ज्ञान की तलाश करें

इंटरैक्टिव सामग्री जैसे वीडियो, चार्ट, स्लाइडशो आदि का उपयोग करके उत्पाद प्रस्तुत करें।

बूथ या प्रचार स्टैंड और स्टॉक उत्पाद सेट करें

ग्राहकों को चुस्त और आकर्षक दिखने के लिए माल की व्यवस्था करें

उत्पाद के नमूने, ब्रोशर, यात्रियों आदि का प्रसार करना।

ग्राहक के साथ व्यस्त रहें और उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की खोज करें। पार्टी की ऐप के माध्यम से दैनिक रिपोर्ट सबमिट करें

पदाधिकारियों का कार्यकाल

महासचिव और उप महासचिव का कार्यकाल, यदि कोई हो, और राज्य सचिवों का कार्यकाल लगातार दो कार्यकाल तक सीमित है—एक कार्यकाल दो वर्ष से कम नहीं है। असाधारण मामलों में, संबंधित इकाई दो और शर्तों की अनुमति देने के लिए गुप्त मतदान के माध्यम से तीन-चौथाई बहुमत से निर्णय ले सकती है। यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो कॉमरेड भी अन्य उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। जहां तक जिला और निचले स्तर के पदाधिकारियों के कार्यकाल का संबंध है, राज्य परिषदें जहां आवश्यक हो वहां नियम बनाएंगी।

Advising your line manager of deliveries that could not be fulfilled.

Remaining friendly and helpful as you conduct your duties.

Work of Promoter

Promoter job description

Promoter is a marketing professional responsible for demonstrating the features of a product to an audience or client. Promoter shows how the product works, takes questions and attempts to persuade consumers or clients to buy the product.

In order to attract Promoter that best matches your needs, it is very important to write a clear and precise Promoter job description.

Promoter duties and responsibilities

Provide all the needed information on promoted products and services

Assist customers in finding the suitable product they are looking for

Provide advice and guidance on product selection to customers

Build lasting relationships with customers by contacting them to follow up on purchases, suggest purchase options and invite them to upcoming events

Consistently seek new product knowledge to act as an expert for the customer

Present products using interactive materials such as videos, charts, slideshows etc.

Set up booths or promotional stands and stock products

Arrange merchandise to look tidy and attractive to customers

Disseminate product samples, brochures, flyers etc.


Engage with customer and discover their wants and needs

Submit daily sales report through the company sales app

Tenure of the Office-Bearers

The tenure of the General Secretary and Deputy General Secretary, if any, and State Secretaries is limited to two consecutive terms—a term being of not less than two years. In exceptional cases, the unit concerned may decide by three-fourth majority through secret ballot to allow two more terms. In case such a motion is adopted that comrade also can contest in the election along with other candidates. As regards the tenure of the office-bearers at district and lower levels, the state councils will frame rules where necessary.





Party Officer / wing / पार्टी अधिकारी / विंग

- 1) Youth wing/ यूथ विंग
- 2) Female wing/ स्त्री विंग
- 3) Thired gender wing/ किन्नर विंग
- 4) Students wing/ स्टूडेंट विंग
- 5) Teachers wing/ शिक्षक विंग
- 6) Senior wing/ सीनियर विंग
- 7) Farming wing/ खेती किसानी
- 8) Business wing/ बिजनेस विंग
- 9) Scientists wing/ वैज्ञानिक विंग
- 10) Advocate wing/ एडवोकेट विंग
- 11) Ngo wing/ एन जी ओ विंग
- 12) Doctors wing/ डॉक्टर्स विंग
- 13) Foreign wing/ विदेशी विंग
- 14) Media wing/ मीडिया विंग
- 15) I.T.Cell wing/ आई.टी.सेल विंग
- 16) Publication wing/ प्रकाशन विंग
- 17) Election wing/ चुनाव विंग
- 18) Bibliographic wing/ ग्रंथ सूची विंग
- 19) Confidential wing/ कॉन्फिडेंशियल विंग
- 20) Trainer wing/ ट्रेनर विंग
- 21) Office wing/ ऑफिस विंग
- 22) Members wing/ सदस्य
- 23) Business wing / बिजनेस विंग
- 24) Cleanliness wing/ स्वच्छता विंग
- 25) Pradhan wing/ प्रधान विंग



समाज और प्रकोष्ठों के लिए नियम

1. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी प्रकोष्ठों और समाज के लिए अखिल भारतीय अध्यक्षों को मनोनीत करेंगे।

2. पार्टी के राज्य अध्यक्ष उस सेल के अखिल भारतीय अध्यक्ष की सलाह से एक सेल और सोसायटी के राज्य अध्यक्ष को नामित करेंगे।

कोशिकाओं

1. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी प्रकोष्ठों और समितियों के लिए अखिल भारतीय अध्यक्षों को नामित करेंगे।

2. एमडीपी के राज्य अध्यक्ष उस सेल और सोसाइटियों के अखिल भारतीय अध्यक्ष की सलाह से प्रकोष्ठ और समितियों के राज्य अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे।

3. सेल और सोसाइटियों की अखिल भारतीय कार्य समिति में निम्न शामिल होंगे:

(ए) उस सेल और सोसायटी के सभी राज्य अध्यक्ष; तथा

(बी) सदस्य उस सेल और सोसायटी के अखिल भारतीय अध्यक्ष द्वारा नामित 25 से अधिक नहीं हैं।

4. अखिल भारतीय प्रकोष्ठ और सोसायटी के अध्यक्ष अपनी समिति के सदस्यों में से पांच से अधिक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष और पांच सचिवों को नामित करेंगे।

5. पार्टी लोकसभा अध्यक्ष प्रकोष्ठ एवं समितियों के प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से प्रकोष्ठ एवं समितियों के लोकसभा अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे। यदि सहमति प्राप्त नहीं की जा सकी तो प्रदेश अध्यक्ष के लोकसभा अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे प्रकोष्ठ और समितियों के राज्य अध्यक्ष के परामर्श से प्रकोष्ठ और समितियों।

6. एक प्रकोष्ठ और समितियों की राज्य कार्य समिति में निम्न शामिल होंगे:

(ए) उस सेल और सोसायटी के सभी जिला अध्यक्ष; तथा

(बी) सदस्य उस सेल और सोसायटी के राज्य अध्यक्ष द्वारा नामित 25 से अधिक नहीं हैं।

7. प्रदेश अध्यक्ष अपनी समिति के सदस्यों में से अधिक से अधिक चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष और चार सचिवों को मनोनीत करेगा।

8. पार्टी मंडल अध्यक्ष उस प्रकोष्ठ और समितियों के लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से एक प्रकोष्ठ और समितियों के मंडल अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे। यदि सहमति नहीं ली जा सकी तो पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष मंडल को मनोनीत करेंगे।

प्रकोष्ठ और समितियों के लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से प्रकोष्ठ और समितियों के अध्यक्ष।

9. एक प्रकोष्ठ और समितियों की जिला समिति में निम्न शामिल होंगे:

(ए) उस सेल और सोसायटी के सभी मंडल अध्यक्ष; तथा

(बी) सदस्य उस प्रकोष्ठ और समितियों के लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित 25 से अधिक नहीं हैं।

10. जिला प्रकोष्ठ एवं समिति के अध्यक्ष अपनी समिति के सदस्यों में से अधिक से अधिक तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष और तीन सचिवों को मनोनीत करेंगे।

11. मंडल प्रकोष्ठ एवं समितियों के अध्यक्ष एमडीपी मंडल अध्यक्ष की सलाह से अपने मंडल प्रकोष्ठ एवं समिति समिति के लिए 25 से अधिक सदस्यों को मनोनीत नहीं करेंगे, जिनमें से एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दो सचिव होंगे और एक कोषाध्यक्ष।

Rules for society and cells

1. The National President of MDP will nominate All India Presidents for all the Cell and Society.

2. MDP State Presidents will nominate State President of a cell & Societies with the advice of All India President of that cell.

Cells

1. The National President of MDP will nominate All India Presidents for all the Cell & Societies.

2. MDP State Presidents will nominate State President of a Cell & Societies with the advice of All India President of that cell & Societies.

3. The All India working committee of a cell and societies will comprise of:

(a) All-State Presidents of that Cell & Societies; and

(b) Members not more than 25 nominated by the All India President of that Cell & Societies.

4. The All India Cell & Societies President would nominate not more than five Vice-Presidents, One General Secretary, one Treasurer, and five Secretaries from amongst the members of his Committee.

5. MDP District President will nominate District President of a Cell & Societies with the concurrence of the State President of that Cell & Societies. If concurrence could not be obtained then State President shall nominate the District President of the Cell & Societies in consultation with the State President of the Cell & Societies.

6. The State working Committee of a Cell & Societies will comprise of:

(a) All District Presidents of that Cell & Societies; and

(b) Members not more than 25 nominated by the State President of that Cell & Societies.

7. The State President would nominate not more than four Vice-Presidents, one General Secretary, one Treasurer, and four Secretaries from amongst the members of his Committee.

8. MDP Mandal President will nominate Mandal President of a Cell & Societies with the concurrence of the District President of that Cell & Societies. If concurrence could not be obtained then the District President of the MDP shall nominate Mandal President of the Cell & Societies in consultation with the District President of the Cell & Societies.

9. The District Committee of a Cell & Societies will comprise of :

(a) All Mandal Presidents of that Cell & Societies; and

(b) Members not more than 25 nominated by the District President of that Cell & Societies.

10. The District Cell & Societies President would nominate not more than three Vice-Presidents, one General Secretary, one Treasurer, and three Secretaries from amongst the members of his Committee.

11. Mandal Cell & Societies President will nominate with the advice of MDP Mandal President not more than 25 members for his Mandal Cell & Societies Committee out of whom there will be one Vice-president, one General Secretary, two Secretaries and one Treasurer.



12. पूर्व सैनिकों, व्यापारियों, कर्मचारियों, मजदूरों, धोबी, बुनकरों, पशुपालकों, मछुआरों, झुग्गी-झोंपड़ीवासियों, हॉकरों के हितों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और मंडल स्तर पर प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। सहकारी समितियों में काम करना, आदि।

13. अखिल भारतीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं समिति के सदस्य अखिल भारतीय एमडीपी अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं समिति के सदस्यों को मनोनीत किया जायेगा। एमडीपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं समिति के सदस्यों को एमडीपी के जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

14. प्रकोष्ठ और समितियों के लिए निधियां संबंधित एमडीपी समिति द्वारा जारी की गई एमडीपी रसीद पुस्तकों पर ही एकत्रित की जाएंगी, जिन पर प्रकोष्ठ और सोसायटी की मुहर लगी होगी। राशि संबंधित के पास जमा की जाएगी

एमडीपी खाता एक अलग शीर्ष के तहत और केवल उस सेल और सोसायटी के अध्यक्ष की सहमति से खर्च किया जाएगा। प्रकोष्ठ और समितियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर एकत्रित की गई निधियों को निम्नानुसार विभाजित किया जाएगा:

(ए) जिला/ लोकसभा स्तर तक एक सेल और सोसायटी द्वारा एकत्र की गई कुल राशि का 25% उस सेल और सोसायटी के राज्य निधि में स्थानांतरित किया जाएगा: और

(बी) राज्य स्तर तक एक सेल और सोसायटी द्वारा एकत्र की गई कुल राशि का 10% सभी का हिस्सा होगा

15. प्रकोष्ठ और समितियों, गतिविधियों के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधियां संबंधित एमडीपी इकाइयों की जिम्मेदारी होगी।

16. राष्ट्रीय/राज्य एमडीपी अध्यक्ष की सहमति से अखिल भारतीय/राज्य अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, एक प्रकोष्ठ और समितियाँ, प्रकोष्ठ के अनुशासन के उल्लंघन का मामला होने पर, प्रकोष्ठ और समितियों के किसी भी सदस्य या इकाई को निलंबित कर सकती हैं।

उनके संज्ञान में लाया गया। पीड़ित सदस्य या इकाई को नोटिस दिया जाएगा और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाएगा। मामला तब केंद्रीय/राज्य एमडीपी अनुशासन समिति को भेजा जाएगा (यदि प्राप्त उत्तर के साथ)। केंद्र/राज्य स्तर पर प्रकोष्ठ और समितियों के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्रकोष्ठ और समितियों के एक प्रतिनिधि को भी मामले पर विचार किए जाने पर अनुशासन समिति के साथ जोड़ा जाएगा।

17. प्रकोष्ठ और समितियों की सभी गतिविधियां एमडीपी के संविधान और नियमों द्वारा शासित होंगी।

18. केवल एमडीपी के सक्रिय सदस्य ही अखिल भारतीय कार्य समिति, राज्य कार्य समितियों और प्रकोष्ठ और समितियों की जिला कार्य समितियों के सदस्य बनने के पात्र होंगे।

19. एमडीपी सदस्य सामान्यतः 25 वर्ष की आयु तक प्रकोष्ठ और सोसाइटियों में कार्य करने के पात्र होंगे

12. Cells will be constituted at the National, State, District, and Mandal level to cater to the interests of ex-soldiers, Traders, Employees, Labour, Washermen, Weavers, Cattle breeders, fishermen, Jhuggi-Jhonpadi dwellers, Hawkers, those working in cooperatives, etc.

13. All India President of the Cells, office-bearers and members of the Committee will be nominated by the All India MDP President, State Presidents of the Cells, office-bearers and members of the Committee will be nominated

by the State President of MDP. The District Presidents of the Cells, office-bearers and members of the Committee will be nominated by the District President of MDP.

14. Funds for the Cell & Societies will be collected only on MDP Receipt Books issued by the corresponding MDP Committee with the Cell & Societies stamp affixed on them. The amount will be deposited with the corresponding

MDP account under a separate head and would be spent only with the consent of that Cell & Societies President. Funds collected, by the Cell & Societies at different levels would be divided as under:

(a) 25% of the total amount collected by a Cell & Societies up to the District level would be transferred to the State fund of that Cell & Societies: and

(b) 10% of the total amount collected by a Cell & Societies up to the State level would be the share of the All

15. Additional funds required for Cell & Societies, activities would be the responsibility of the corresponding MDP Units.

16. A Cell & Societies All India/State President with the concurrence of National/State MDP President, as the case may be, can suspend any member or Unit of the Cell & Societies if a case of breach of the discipline of the Cell & Societies is brought to his notice. The aggrieved member or Unit will be served with a notice and asked to explain. The matter then will be referred to the Central/State MDP Disciplinary Committee (along with the reply if received). A representative of the Cell & Societies appointed by the Cell & Societies President at the Central/State level will also be associated with the Disciplinary Committee when the matter is considered.

17. All activities of the Cell & Societies would be governed by the Constitution and Rules of the MDP.

18. Only Active Members of MDP would be eligible to be members of the All India working Committee, State working Committees and District working Committees of the Cell & Societies.

19. MDP members ordinarily up to the age of 25 years would be eligible to work in the Cell & Societies



PARTY SOCIETYS:-

- 1) Home Society/होम सोसाइटी
- 2) Jail Society/जेल सोसायटी
- 3) Revenue Society/राजस्व सोसायटी
- 4) Housing & Urban Planning Society/आवास और शहरी नियोजन सोसायटी
- 5) Food security Society/खाद्य सुरक्षा सोसायटी
- 6) Mining Society/खनन सोसायटी
- 7) Flood control Society/बाढ़ नियंत्रण सोसायटी
- 8) Tax Management Society/टैक्स मैनेजमेंट सोसाइटी
- 9) General Administration Society/सामान्य प्रशासन सोसायटी
- 10) State property Society/राज्य संपत्ति सोसायटी
- 11) Administrative reform and Consumer protection Society/ प्रशासनिक सुधार और उपभोक्ता संरक्षण सोसायटी
- 12) Works Department Society/ वर्क्स डिपार्टमेंट सोसाइटी
- 13) Food Processing Society/ फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी
- 14) Entertainment Tax Society/ एंटरटेनमेंट टैक्स सोसाइटी
- 15) Public Labour Department Society/ सार्वजनिक श्रम विभाग सोसायटी
- 16) Minister of Secondary Society/ माध्यमिक समाज के मंत्री
- 17) Higher Education Society/ उच्च शिक्षा सोसायटी
- 18) Science and Technology Society/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसायटी
- 19) Electronics Society/ इलेक्ट्रॉनिक्स सोसाइटी
- 20) Department of Information Technology Society/ सूचना प्रौद्योगिकी सोसायटी विभाग
- 21) Agriculture Society/ कृषि सोसायटी
- 22) Agriculture Education and Agriculture Research Society/ कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान सोसायटी
- 23) Legislative Affairs Society/ विधायी कार्य सोसायटी
- 24) Urban Development and Sahari Samgra Vikas Society/ शहरी विकास और सहरी समागम विकास सोसाइटी
- 25) Labour and Service planning Society/ श्रम और सेवा नियोजन सोसायटी
- 26) Urban employment and Poverty alleviation Society/ शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन सोसायटी
- 27) Industrial Development Society/ औद्योगिक विकास सोसाइटी
- 28) Finance Society/ वित्त सोसायटी
- 29) Forest & Environment and Zoos Society/ वन और पर्यावरण और चिड़ियाघर सोसायटी
- 30) Irrigation Society/ सिंचाई सोसायटी
- 31) Livestock, Minor Irrigation and Fisheries Society/ पशुधन, लघु सिंचाई और मत्स्य समाज
- 32) Khadi, Rural industry Society/ खादी, ग्रामीण उद्योग सोसायटी
- 33) Resham Society/ रेशम सोसायटी
- 34) Textile industry Society/ कपड़ा उद्योग सोसायटी
- 35) Small & Medium enterprises and Exports encouragements Society/ लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन सोसायटी
- 36) Social welfare and SC & ST welfare Society/ सामाजिक कल्याण और एससी और एसटी कल्याण सोसायटी
- 37) Excise and Liquor prohibition Society/ आबकारी और शराब निषेध सोसायटी
- 38) Backward classes welfare and Disabled people development Society/ पिछड़ा वर्ग कल्याण और विकलांग जन विकास सोसाइटी
- 39) Law & Justice Society/ लॉ एंड जस्टिस सोसाइटी
- 40) Additional energy resources and Political pention Society/ तिरिक्त ऊर्जा संसाधन और राजनीतिक उल्लेख सोसायटी
- 41) Dairy development Society/ डेयरी विकास सोसायटी
- 42) Religious works & culture Society/ धार्मिक कार्य और संस्कृति सोसायटी
- 43) Welfare Society/ वेलफेयर सोसाइटी
- 44) Sports & Youth welfare Society/ खेल और युवा कल्याण सोसाइटी
- 45) Commercial education and Skill development Society/ वाणिज्यिक शिक्षा और कौशल विकास सोसाइटी
- 46) Power Society/ पावर सोसायटी
- 47) Rural electricity service Society/ ग्रामीण बिजली सेवा सोसायटी
- 48) Health Society/ हेल्थ सोसायटी
- 49) Cooperative Society/ सहकारी समिति
- 50) Technological and Medical education Society/ तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा सोसायटी
- 51) Department of Civil Aviation Society/नागरिक उड्डयन सोसायटी विभाग
- 52) Department of Stamp, Court fee and Registration Society/स्टाम्प विभाग, न्यायालय शुल्क और पंजीकरण सोसायटी



- 53) Sugarcane development & Sugar mills and Industrial development Society/गन्ना विकास और चीनी मिलें और औद्योगिक विकास सोसायटी
- 54) State Water compensation Society/राज्य जल मुआवजा सोसायटी
- 55) Land development Society/भूमि विकास सोसायटी
- 56) Water resources Society/जल संसाधन सोसाइटी
- 57) Barren land development Society/बंजर भूमि विकास सोसायटी
- 58) Forest & Environment Society/वन और पर्यावरण सोसायटी
- 59) Uddyan and Cooperatives Society/उद्यान और सहकारी समिति
- 60) Rural development Society/ग्रामीण विकास सोसाइटी
- 61) Samagra rural development and Health care Society/ सामग्रा ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य देखभाल सोसायटी
- 62) Transport Society/ ट्रांसपोर्ट सोसायटी
- 63) Protocol and Power Society/ प्रोटोकॉल और पावर सोसायटी
- 64) Panchayati Raj and Public Works Department Society/ पंचायती राज और लोक निर्माण विभाग सोसायटी
- 65) Medicine Society/ मेडिसिन सोसायटी
- 66) Contingency grant and Rehabilitation Society/ आकस्मिकता अनुदान और पुनर्वास सोसायटी
- 67) Soldier's welfare Society/ सैनिक कल्याण सोसाइटी
- 68) Food processing Society/ फूड प्रोसेसिंग सोसायटी
- 69) Home guards Society/ होमगार्ड्स सोसायटी
- 70) Regional security force and Civil security Society/ क्षेत्रीय सुरक्षा बल और नागरिक सुरक्षा सोसायटी
- 71) NRI Society/ एनआरआई सोसायटी
- 72) Flood control Society/ बाढ़ नियंत्रण सोसायटी
- 73) Agriculture import Society/ कृषि आयात सोसायटी
- 74) Agriculture marketing Society/ कृषि विपणन सोसायटी
- 75) Agriculture foreign trade Society/ कृषि विदेशी व्यापार सोसायटी
- 76) Women & Family welfare and Maternity & Child welfare Society/ महिला और परिवार कल्याण और मातृत्व और बाल कल्याण सोसायटी
- 77) Social welfare and SC & ST welfare Society/ सामाजिक कल्याण और एससी और एसटी कल्याण सोसायटी
- 78) Livestock and fisheries, State property and Urban land Society/ पशुधन और मत्स्य पालन, राज्य संपत्ति और शहरी भूमि सोसायटी
- 79) Mining, Excise and Prohibition Society/ खनन, आबकारी और निषेध सोसायटी
- 80) Jail and Civil service management Society/ जेल और सिविल सेवा प्रबंधन सोसायटी
- 81) Fertiliser supply Society/ बरक आपूर्ति सोसायटी
- 82) Rent control Society/ किराया नियंत्रण सोसायटी
- 83) Consumer protection and Food security Society/ उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य सुरक्षा सोसायटी
- 84) Agriculture Society/ कृषि सोसायटी
- 85) Agriculture education and research Society/ कृषि शिक्षा और अनुसंधान सोसायटी
- 86) Law & Justice, Information and Sports & Youth welfare Society/ कानून और न्याय, सूचना और खेल और युवा कल्याण सोसायटी
- 87) Science & Technology Society/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसायटी
- 88) Electronics Society/ इलेक्ट्रॉनिक्स सोसायटी
- 89) IT Society/ आईटी सोसायटी
- 90) Muslim waqf and Haj Society/ मुस्लिम वक्फ और हज सोसाइटी
- 91) Urban development Society/ शहरी विकास सोसाइटी
- 92) Rehabilitation and Abhav Sahayata Society/ पुनर्वास और अभाव सहाय समान
- 93) Minority welfare Society/ अल्पसंख्यक कल्याण सोसायटी
- 94) Agriculture and Agriculture (Mechanised) Society/ कृषि और कृषि (मशीनीकृत) सोसायटी
- 95) Labour service planning Society/ श्रम सेवा नियोजन सोसायटी
- 96) Basic Society/ मूल समाज
- 97) Secondary Society / सेकेंडरी सोसाइटी
- 98) Higher Society/ हायर सोसाइटी
- 99) Professional and Medical education Society/ व्यावसायिक और चिकित्सा शिक्षा सोसायटी
100. Housing Society/ हाउसिंग सोसायटी
101. Commercial education and Skill development Society/ वाणिज्यिक शिक्षा और कौशल विकास सोसायटी



सदस्यता नीति

सदस्यता के लिए योग्यता

कोई भी व्यक्ति जो एमडीपी/बीएपी की नीतियों को स्वीकार करता है, सदस्य बन सकता है बशर्ते कि वह किसी अन्य पार्टी का सदस्य न हो, और सदस्यता शुल्क रुपये देकर। 1/- एमडीपी/बीएपी यूनिट को जिसके अधिकार क्षेत्र में

वह / वह रहता है

ए) प्राथमिक सदस्य: एक व्यक्ति जो 18 वर्ष का है और वार्षिक सदस्यता शुल्क रु। 100 प्राथमिक सदस्य होगा।

बी) सक्रिय सदस्य: पार्टी का एक प्राथमिक सदस्य, जिसने पार्टी में प्रवेश के एक वर्ष के बाद 25 सदस्यों को नामांकित किया है और वार्षिक सक्रिय सदस्यता शुल्क रु। 10/- एक सक्रिय सदस्य होगा।

आवेदन और घोषणा

1. एक आवेदक सदस्यता के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करते समय: निम्नलिखित घोषणा करनी होगी:

"मैं भारत की बहुआयामी पार्टी एमडीपी में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से हूँ। मैं पार्टी के कार्यक्रम को बनाए रखूंगा, पार्टी के संविधान के प्रावधानों का पालन करूंगा, पार्टी के सदस्य के कर्तव्य को पूरा करूंगा, पार्टी के फैसलों को पूरा करूंगा, पार्टी के अनुशासन का सख्ती से पालन करूंगा और हमेशा पार्टी के प्रति वफादार रहूंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, जीवन भर बहुआयामीता के लिए लड़ूंगा और पार्टी के लिए, लोगों के लिए और देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए खुद को तैयार करूंगा। मैं पार्टी के रहस्यों की रक्षा करने और पार्टी के साथ कभी विश्वासघात नहीं करने का संकल्प लेता हूँ।

1. पार्टी सदस्यता के लिए एक व्यक्ति का आवेदन होना चाहिए पार्टी के दो सदस्यों द्वारा अनुशंसित। पार्टी शाखा, आवेदक को पार्टी में प्रवेश के लिए पात्र पाए जाने पर, आवेदन को अगली उच्च पार्टी समिति को अग्रप्रेषित करेगी। पार्टी शाखा के ऊपर की पार्टी कमेटी को किसी सदस्य के नामांकन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है।

2. एक बार एमडीपी पार्टी से निष्कासित सदस्य को पार्टी कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद ही फिर से भेजा जा सकता है, जिसने निष्कासन को मंजूरी दी थी।

मेम्बरशिप फीस

1. पार्टी के सभी सदस्यों के साथ-साथ उम्मीदवारों को प्रति वर्ष 100 रुपये की पार्टी सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा। यह वार्षिक पार्टी शुल्क पार्टी में प्रवेश के समय और प्रत्येक वर्ष के मार्च-अंत तक संबंधित सदस्य द्वारा शाखा या इकाई सचिव को भुगतान किया जाएगा। यदि वह नियत समय में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम पार्टी रोल से हटा दिया जाएगा। केंद्रीय समिति इस तिथि को बढ़ा सकती है यदि परिस्थितियाँ इस तरह के विस्तार की आवश्यकता होती हैं।

2. पार्टी की शाखाओं या इकाइयों द्वारा पार्टी के सदस्यों से एकत्र की गई सर्वदलीय फीस उपयुक्त पार्टी समितियों के माध्यम से केंद्रीय समिति के पास जमा की जाएगी।

Membership Policy

Qualification for membership

Any person who accepts the policies of the MDP/BAP can become a member provided he/she is not a member of any other party, and by giving membership fee of Re. 1/- to the MDP/BAP Unit within whose jurisdiction he/she resides

a) Primary member: A person who is of 18 years and paying an annual membership fee of Rs. 100 shall be a primary member.

b) Active member: A primary member of the party, who after one year of his admission to the party has enrolled 25 members and paying an annual active membership fee of Rs. 10/- shall be an Active member.

Application and Declaration

1. An applicant while applying for membership in a prescribed form shall have to make the following declaration:

"I volunteer to join the Multidimensional Party MDP of India. I will uphold the Party's program, abide by the provisions of the Party's constitution, fulfill the duty of a Party member, carry out the Party's decisions, strictly observe Party's discipline, and will always be loyal to the Party. I will work hard, fight for Multidimensionalism throughout my life and prepare myself to sacrifice my all for the Party, for the people, and for the country. I pledge to guard Party secrets and never to betray the Party."

1. Application of an individual for Party membership must be recommended by two Party members. The Party branch, on finding the applicant eligible for admission to the Party, shall forward the application to the next higher Party committee. The Party committee above the Party branch is empowered to take the final decision regarding the enrolment of a member.

2. A member once expelled from the MDP Party can be readmitted only after getting clearance from the Party committee which had approved the expulsion.

Membership Fee

1. All Party members, as well as candidates, shall pay a Party membership fee of rupees 100, one per year. This annual Party fee shall be paid at the time of admission into the Party and by March-end of each year to the branch or unit secretary by the member concerned. If he or she does not clear the fee in due time his or her name shall be removed from the Party rolls. The Central Committee may extend this date if the circumstances warrant such extension.

2. All-Party fees collected from Party members by Party branches or units will be deposited with the Central Committee through the appropriate Party committees.



पार्टी के प्राथमिक सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं।

ए) भारत के नागरिक।

बी) शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ।

ग) अठारह वर्ष।

पार्टी का अधिकारी बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं।

ए) किसी भी स्ट्रीम / विषय में स्नातक।

ब) किसी भी संगठन/सोसाइटी/ट्रस्ट/फाउंडेशन आदि के अधिकारी।

ग) समाचार रिपोर्टर, संपादक, अनुवादक, ब्यूरो प्रमुख, पत्रकार, प्रकाशक आदि।

डी) बीएलएलबी/एलएलएम, वकील, सलाहकार, परामर्श सेवा प्रदाता आदि।

क्षेत्रीय, मंडल और केंद्रीय समिति, प्रकोष्ठ और समितियों के सदस्य होने के लिए

एमडीपी / बीएपी, योग्यता के अलावा निम्नलिखित योग्यताएं

क) २९ वर्ष

बी) पढ़ने और लिखने का ज्ञान।

ग) संगठनात्मक अनुभव।

घ) प्राथमिक सदस्यता।

ई) निम्नलिखित सामाजिक गतिविधियों में से किसी में भागीदारी -

i) सामाजिक, आर्थिक सेवा।

ii) भाषाई, कला सांस्कृतिक गतिविधियाँ

iii) सामाजिक सुधार सांप्रदायिक सद्भाव।

बी.ए.पी. का सदस्य बनने के लिए निरर्हताएं होंगी -

i) के अलावा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का सदस्य एमडीपी।

ii) यदि एमडीपी द्वारा अवांछित घोषित किया जाता है।

iii) न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया।

iv) कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता,

v) भ्रष्टाचार,

vi) कर्तव्यों में लापरवाही,

vii) पार्टी अनुशासन का उल्लंघन,

viii) पार्टी की गोपनीयता बनाए रखने में विफलता।

1. सदस्यता में प्रवेश पर, प्रत्येक सक्रिय और सहयोगी सदस्य को सदस्यता कार्ड जारी किया जाएगा।

2. पार्टी सदस्यता कार्ड पूरे देश में एक समान होंगे और केंद्रीय समिति द्वारा जारी किए जाएंगे।

3. इस्तीफे के ऐसे सभी मामलों को निष्कासन के रूप में प्रभावी किया जाएगा तुरंत अगली उच्च पार्टी समिति को सूचित करें और इसके अधीन हों बाद की पुष्टि।

4. पार्टी के समस्त पदाधिकारियों के लिए आईडी कार्ड को जारी किया जाएगा जिस पर संबंधित पदाधिकारी की आईडी नंबर व रेफरेंस नंबर अंकित होगा जोकि यूनिक रहेगा।

The following qualifications are necessary to be a Primary member of the Party.

a) Citizen of India.

b) Physically and mentally sound.

c) Eighteen years old.

The following qualifications are necessary to be an officer of the Party.

a) graduation any stream/subject.

b) officers of any organization/society/trust/foundation etc.

c) News reporter, editor, translator, bureau chief, journalist, publisher etc.

d) BALLB/LLM, Lawyer, Advisor, consultancy service provider etc

To be a member of the Regional, Divisional and Central Committee, Cell & Societies of the MDP/BAP, the following qualifications besides the qualification.

a) 21 years old

b) Knowledge of reading and writing.

c) Organisational experience.

d) Primary membership.

e) Participation in any of the following Social activities –

i) Socio, Economic Service.

ii) Linguistic, Art Cultural Activities

iii) Social reforms Communal harmony.

Disqualifications to be a member of the MDP shall be

i) A member of a recognized Political Party other than the MDP.

ii) If declared unwanted by the MDP.

iii) Convicted by a Court of Law.

iv) Failure to discharge duties,

v) Corruption,

vi) Negligence in duties,

vii) Violation of party discipline,

viii) Failure to maintain party Secrecy.

1. On admission to membership, every Active and Associate member shall be issued a membership card.

2. Party membership cards shall be uniform throughout the country and shall be issued by the Central Committee.

3. All such cases of resignations given effect to as expulsion shall be immediately reported to the next higher Party committee and be subject to the latter's confirmation.

4. ID card will be issued to all the office bearers of the party, on which the ID number and reference number of the concerned officer will be written which will be unique.



सदस्यों के अधिकार

1. (ए) सक्रिय सदस्य - एक सक्रिय सदस्य को सभी स्तरों पर निर्वाचित और निर्वाचित होने का अधिकार होगा।
- (बी) एसोसिएट सदस्य - एक एसोसिएट सदस्य को शाखा स्तर पर निर्वाचित और निर्वाचित होने का अधिकार होगा।
- (सी) पार्टी की गतिविधियों में भाग लेने के लिए, जिसमें पार्टी से जुड़े विभिन्न फ्रंट जन संगठनों और प्रकोष्ठों की गतिविधियां शामिल हैं।
- (डी) पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए उचित स्तर पर पार्टी में चर्चा में भाग लेने के लिए।
- (ए) पार्टी में अपने काम के बारे में प्रस्ताव देना और खुद को काम सौंपना।
- (च) किसी पार्टी इकाई के किसी भी निर्णय के साथ मतभेद के मामले में, एक सदस्य को अपनी राय, लिखित रूप में, उच्च समिति को प्रस्तुत करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मामले में, उसे पार्टी इकाई के निर्णय की आलोचना को पार्टी के भीतर रखना है और बाहर कुछ भी प्रकट नहीं करना है।
- (छ) पार्टी की बैठकों में पार्टी इकाइयों और पदाधिकारियों के बारे में आलोचना करने के लिए और बाहर कुछ भी प्रकट करने के लिए।
- (ज) पार्टी में अपनी इकाई में व्यक्तिगत रूप से सुना जाना जब इकाई उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई पर चर्चा करती है।

सदस्यों के कर्तव्य

1. सदस्यों के कर्तव्य इस प्रकार हैं:
- (ए) पार्टी की गतिविधियों में भाग लेने के लिए और पार्टी की नीति, निर्णयों और निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने के लिए और पार्टी द्वारा निर्धारित लेवी का नियमित रूप से भुगतान करने के लिए।
- (बी) मेहनतकश जनता के लिए लड़ने के लिए।
- (सी) पार्टी संविधान और पार्टी अनुशासन का पालन करने के लिए।
- (डी) स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और शिक्षाओं और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का अध्ययन करने के लिए। भारत, विशेष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियाँ, भारतीय परंपराओं, संस्कृतियों, विरासतों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों पर समकालीन विकास।
- (ई) वैज्ञानिक समाजवाद के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए।
- (एफ) आधिकारिक पार्टी अंगों में से एक की सदस्यता लेने के लिए; पार्टी पत्रिकाओं और प्रकाशनों को पढ़ें, समर्थन करें और लोकप्रिय बनाएं।
- (छ) लोगों और पार्टी के हितों को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखना।
- (ज) पार्टी के भीतर एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करना।
- (i) पार्टी की रक्षा करना और उसकी विचारधारा को बनाए रखना और पार्टी के दुश्मनों, मेहनतकश लोगों और देश के हमलों के खिलाफ कारण।

Rights of members

1. (a) Active members — An active member shall have the right to be elected and elect at all levels.
- (b) Associate member — An Associate member shall have the right to be elected and elect at the branch levels.
- (c) To participate in the activity of the Party, including the activities of different frontal mass organisations and cells, attached to the Party.
- (d) To take part in discussion in the Party at appropriate levels for formulation of policies and programmes of the party.
- (e) To make proposals regarding their own work in the Party and to get work assigned to themselves.
- (f) In case of a difference with any decision of a Party unit, a member has the right to submit his or her opinion, in writing, to the higher committee. In such a case, he/she is to keep the criticism of the decision of the Party Unit within the Party and not to disclose anything outside.
- (g) To make criticism about Party units and functionaries in Party meetings and not to disclose anything outside.
- (h) To be heard in person in his or her unit in the Party when the unit discusses disciplinary action against him or her.

Duties of members

1. The duties of members are as follows:

- (a) To participate in the activities of the Party and to faithfully carry out the policy, decisions and the directives of the Party and to pay regularly the levy as fixed by the Party.
- (b) To fight for the cause of the toiling masses.
- (c) To observe the Party Constitution and Party Discipline.
- (d) To study the life and teachings of freedom fighters and the History of Freedom Movement. India, especially revolutionary activities, Indian traditions, cultures, heritages, contemporary developments on national and international scenes.
- (e) To study the basic principles of Scientific Socialism.
- (f) To subscribe one of the official party organs; read, support and popularise Party journals and publications.
- (g) To place the interests of the people and the Party above personal interests.



(जे) अलगाववाद और सांप्रदायिकता की ताकतों के खिलाफ लगातार लड़ना और राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना।

(के) विश्व पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और नव-औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए।

(१) अश्लीलतावादी, जेनोफोबिक और अन्य सभी प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए।

(एम) सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए लड़ने के लिए।

पार्टी सदस्यता रिकॉर्ड

सभी सदस्यता अभिलेख जिले की देखरेख में रखे जायेंगे समिति।

पार्टी सदस्यता की जांच

1. जिस पार्टी संगठन से पार्टी का सदस्य संबंधित है, उसके द्वारा पार्टी की सदस्यता की वार्षिक जांच की जाएगी। पार्टी का कोई भी सदस्य जो निरंतर अवधि के लिए और बिना उचित कारण के पार्टी के जीवन और गतिविधि में भाग लेने या पार्टी के बकाया का भुगतान करने में विफल रहा है, उसे पार्टी की सदस्यता से हटा दिया जाएगा।

2. किसी शाखा या पार्टी समिति द्वारा पार्टी सदस्यता की जांच पर एक रिपोर्ट

संबंधित को पुष्टि और पंजीकरण के लिए अगली उच्च समिति को भेजा जाएगा।

3. पार्टी की सदस्यता छोड़ने के निर्णयों पर अपील का अधिकार होगा।

पार्टी लेवी

पार्टी के प्रत्येक सदस्य को केंद्र द्वारा निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान करना होगा समिति। जिनकी आय वार्षिक या मौसमी प्रकृति की है, उन्हें सीजन की शुरुआत में या हर साल की शुरुआत में उनके लेवी का भुगतान करें उसी प्रतिशत के आधार पर। यदि कोई सदस्य अपनी लेवी जमा करने में विफल रहता है इसके एक साल बाद, उनका नाम पार्टी रोल से हटाया जाना है।

महिला आरक्षण

पार्टी इकाइयों के सभी स्तरों पर कोषाध्यक्ष का पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। जिले में, संघ, नगर पंचायत, टाउनशिप पंचायत, अंचल एवं वार्ड दल इकाइयों में कोषाध्यक्ष का एक पद विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।

ग्राम/नगर/वार्ड इकाई

1. प्रत्येक गांव के लिए गांव/कस्बा/वार्ड इकाई होगी/

टाउन / वार्ड।

ग्राम/कस्बा/वार्ड इकाई पार्टी के प्राथमिक सदस्यों से मिलकर बनेगी

जिनकी सदस्यता संभागीय इकाई के कार्यालय में सहायता/

क्षेत्र इकाई का पर्यवेक्षण। पदाधिकारियों और कार्यकारी का आकार और संरचना

समिति का निर्धारण इकाई के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ग्राम/नगर/वार्ड इकाई का कर्तव्य प्राथमिक रूप से जनता के बीच पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करना होगा। यह संबंधित क्षेत्र के ध्यान में लाए गए या संभागीय इकाई आवश्यक कार्यों के लिए राज्य की शांति और शांति को प्रभावित करने वाला कोई भी मामला।

2. संबंधित क्षेत्र या मंडल के सामान्य नियंत्रण के अधीन

इकाई, ग्राम/कस्बा/वार्ड इकाई अधिकतर कार्य करेगी

यूनिट की सुविधा के लिए।

(j) To fight consistently against the forces of secessionism and communalism and to defend the unity and integrity of the nation.

(k) To fight against world capitalist, imperialist and neo-colonial forces.

(l) To fight against obscurantist, Xenophobic and all other reactionary forces.

(m) To fight for social justice and sustainable developments.

Party Membership Records

All membership records shall be kept under the supervision of the District Committee.

Check-up of Party Membership

1. There shall be an annual check-up of Party membership by the Party organization to which the Party member belongs. Any Party member who for a continuous period and without proper reason has failed to take part in Party life and activity or to pay Party dues shall be dropped from Party membership.

2. A report on check-up of Party membership by a Branch or a Party committee concerned shall be sent to the next higher committee for confirmation and registration.

3. There shall be right of appeal on decisions of droppage from Party membership.

Party Levy

Every Party Member must pay a monthly levy as laid down by the Central Committee. Those whose incomes are of annual or of seasonal character have to pay their levy at the beginning of the season or at the beginning of every years on the same percentage basis. If a member has failed to deposit his levy within. A year after it is due, then his name is to be removed from the Party rolls.

Women's reservation

At all levels of the Party units, the post of the treasurer shall be reserved exclusively for women. In the District, Union, Town Panchayats, Township Panchayats, Circle and Ward Party Units, one post of the treasurer shall be reserved, exclusively for women.

Village/Town/Ward Unit

1. There shall be Village/Town/Ward Unit for every Village/ Town/Ward.

The Village/Town/Ward Unit shall be composed of primary members of the Party whose memberships shall be enrolled at the office of the Divisional Unit with the assistance/ supervision of the Area Unit. The size and composition of office bearers and Executive Committee shall be determined by the members of the Unit. The duty of the Village/Town/Ward Unit shall be primarily to propagate the policies and programmes of the Party among the masses. It shall bring to the notice of the respective Area or Divisional Unit any matter affecting the peace and tranquility of the State for necessary actions.

2. Subject to the general control of the respective Area or Divisional Unit, the Village/Town/Ward Unit shall function mostly according to the convenience of the Unit.



ग्राम पंचायत स्तर पर पार्टी इकाइयाँ

प्रत्येक पंचायत में केवल एक पार्टी इकाई का गठन किया जाएगा और यदि कम से कम 25 सदस्यों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, तो उक्त पार्टी इकाई बनाने के लिए एक से अधिक पंचायतों को एक साथ समूहित किया जा सकता है। किसी भी संख्या में अतिरिक्त सदस्यों को नामांकित करने की कोई सीमा नहीं है। ग्राम इकाइयों में, सभी प्राथमिक सदस्य मिलेंगे और अपने पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। ग्राम इकाई के पांच पदाधिकारी, अर्थात् अध्यक्ष, सचिव, दो उप सचिव, कोषाध्यक्ष, उच्च इकाई के तीन प्रतिनिधि और ग्राम इकाई के नौ कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जायेगा। इनमें एक उप सचिव, उच्च इकाई के एक सदस्य तथा कार्यकारिणी समिति के तीन सदस्यों के पद अनन्य हैं।

नगर पंचायत स्तर पर पार्टी इकाइयाँ

संबंधित बूथ के मतदाता सदस्य सामूहिक रूप से एक निर्वाचक मंडल से होंगे। उक्त निर्वाचक मंडल के सदस्य मतदान केंद्र समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। जब तक ऐसा चुनाव सर्वसम्मति से न हो, वोट गुप्त मतदान द्वारा लिए जाएंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के साधारण बहुमत के आधार पर होगा और परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे। संबंधित नगर/ब्लॉक समिति के मतदाता सदस्य सामूहिक रूप से एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करेंगे। उक्त निर्वाचक मंडल के सदस्य मतदान केंद्र समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। जब तक चुनाव सर्वसम्मति से न हो, वोट गुप्त मतदान द्वारा लिए जाएंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के साधारण बहुमत के आधार पर होगा और परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे। उक्त निर्वाचक मंडल राज्य के मूल निकाय में संबंधित नगर/ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य (वह उस शहर/ब्लॉक से नहीं हो सकता है) का भी चुनाव करेगा। उक्त निर्वाचक मंडल अन्य 4 (चार) सदस्यों (संबंधित नगर/ब्लॉक के भीतर पाठ्यक्रम मतदाता सदस्यों के) को भी संबंधित जिला समिति में संबंधित नगर/ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनेगा। निर्वाचक मंडल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र समिति का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से नगर/ब्लॉक समिति के अध्यक्ष के अलावा एक सदस्य का भी चुनाव करेगा। नगर/ब्लॉक समिति के अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र के पदेन सदस्य होंगे।

विधानसभा पार्टी इकाइयाँ

विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से पदेन सदस्य के साथ नगर / प्रखंड समितियों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन क्षेत्र समितियां सामूहिक रूप से एक निर्वाचक मंडल का गठन करेंगी। उक्त निर्वाचक मंडल के सदस्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। जब तक चुनाव सर्वसम्मति से न हो, वोट गुप्त मतदान द्वारा लिए जाएंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के साधारण बहुमत के आधार पर होगा और परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि कोई भी मतदाता राज्य के सदस्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में, संबंधित चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उक्त विधानसभा क्षेत्र समिति के पदाधिकारियों के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

Party Units at Village Panchayat Level

Only one party unit shall be formed in each Panchayat and if a minimum of 25 members could not be secured, more than one Panchayat could be grouped together to form the said party unit. There is no ceiling against enrolling any number of additional members. In village units, all the primary members shall meet and elect its functionaries. Five functionaries of the Village unit, viz. the Chairman, Secretary, two Deputy Secretaries, and Treasurer, three representatives of the higher unit, and nine executive committee members of the Village unit shall be elected. Among them, the posts of one deputy secretary, one member of the higher unit, and three executive committee members are exclusive.

Party Units at Town Panchayat Level

Voter members of the respective booth shall form collective an electoral college. The members of the said electoral college shall elect the office bearers of the polling booth committee. Unless such election is unanimous, the votes shall be taken by secret ballot. The election shall be on the basis of a simple majority of votes received by the contesting candidates and the results will be announced forthwith. Voter members of the respective Town/Block Committee shall form collectively an electoral college. The members of the said electoral college shall elect the office bearers of the polling booth committee. Unless the election be unanimous, the votes shall be taken by secret ballot. The election shall be on the basis of a simple majority of votes received by the contesting candidates and the results will be announced forthwith. The said electoral college shall also elect one member (he/she may not be from that Town/Block) for representing the concerned Town/ Block in the parent body of the State. The said electoral college shall also elect another 4 (four) members (of Course voter members within the Town/Block concerned) to represent the concerned Town/ Block to the concerned District Committee. The electoral college shall also elect one member apart from the President of Town /Block Committee for the purpose of representing the Assembly Constituency Committee. The President of the Town/Block Committee shall be the Exofficio member of the Assembly Constituency.

Assembly Union Party Units

The elected members from the Town/ Block Committees along with the ex-officio member for the purpose of representing the Assembly Constituency Committees shall collectively form an electoral college. The members of the said electoral college shall elect the office bearers of the Assembly Constituency Committee. Unless the election be unanimous, the votes shall be taken by secret ballot. The election shall be on the basis of a simple majority of votes received by the contesting candidates and the results will be announced forthwith. It is also pertinent to mention that any voter member from the State may contest for the post of president of the Assembly Constituency Committee. But in that case, the concerned contesting candidate will not have any voting right in the election of the office bearers of the said Assembly Constituency Committee.



लोकसभा स्तर की पार्टी इकाइयाँ

नगर/ब्लॉक के निर्वाचित सदस्य लोकसभा समिति का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक निर्वाचक मंडल का गठन करेंगे। सदस्यगण उक्त निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकसभा समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। जब तक चुनाव सर्वसम्मति से न हो, वोट किसके द्वारा लिए जाएंगे गुप्त मतपत्र। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के साधारण बहुमत के आधार पर होगा और परिणाम घोषित किए जाएंगे तुरंत। संबंधित जिले के भीतर विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष लोकसभा समिति के पदेन सचिवालय सदस्य के रूप में होगा।

सेक्टर ज़ोन लेवल पार्टी इकाइयाँ

सेक्टर ज़ोन मूल निकाय का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से विभिन्न नगर/ब्लॉक समितियों के निर्वाचित सदस्य सामूहिक रूप से एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करेंगे। सदस्य राज्य कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। जब तक चुनाव सर्वसम्मति से न हो, वोट गुप्त रूप से लिए जाएंगे मतपत्र चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के साधारण बहुमत के आधार पर होगा और परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष हमेशा राज्य कार्यकारी समिति के पदेन सचिवालय सदस्य होंगे। लेकिन, किसी भी नीति निर्धारण निर्णय के मामले में उक्त राज्य कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के चुनाव के अलावा पदेन सदस्य को मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा।

राज्य लेवल पार्टी इकाइयाँ

राज्य मूल निकाय का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से विभिन्न नगर/ब्लॉक समितियों के निर्वाचित सदस्य सामूहिक रूप से एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करेंगे। सदस्य राज्य कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। जब तक चुनाव सर्वसम्मति से न हो, वोट गुप्त रूप से लिए जाएंगे मतपत्र चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के साधारण बहुमत के आधार पर होगा और परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष हमेशा राज्य कार्यकारी समिति के पदेन सचिवालय सदस्य होंगे। लेकिन, किसी भी नीति निर्धारण निर्णय के मामले में उक्त राज्य कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के चुनाव के अलावा पदेन सदस्य को मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा।

केंद्रीय समिति

1. (ए) पार्टी कांग्रेस में केंद्रीय समिति का चुनाव किया जाएगा, पार्टी कांग्रेस द्वारा तय की जा रही संख्या।
- (बी) निवर्तमान केंद्रीय समिति कांग्रेस को उम्मीदवारों के एक पैनल का प्रस्ताव देगी।

Loksabha Level Party Units

The elected members of the Town/ Block for the purpose of representing the Loksabha Committee will collectively form an electoral college. The members of the said Electoral College shall elect the office bearers of the Loksabha Committee. Unless the election be unanimous, the votes shall be taken by secret ballot. The election shall be on the basis of a simple majority of votes received by the contesting candidates and the results will be announced

Forthwith. The President of the Assembly segment within the concerned district will be as an Ex-Officio Secretariat Member of the Loksabha Committee.

Sector zone Level Party Units

The elected members from the different Town/Block Committees for the purpose of representing the Sector Zone parent body will collectively form an electoral college. The members shall elect the office bearers of the State Executive Committee. Unless the election be unanimous, the votes shall be taken by secret ballot. The election shall be on the basis of a simple majority of votes received by the contesting candidates and the results will be announced forthwith. The Loksabha President will always be the Ex-officio Secretariat Member of the State Executive Committee. But, in case of any policy making decision the said ex-officio member shall not have any voting right, other than election of office bearers of the State Executive Committee.

State Level Party Units

The elected members from the different Town/Block Committees for the purpose of representing the State parent body will collectively form an electoral college. The members shall elect the office bearers of the State Executive Committee. Unless the election be unanimous, the votes shall be taken by secret ballot. The election shall be on the basis of a simple majority of votes received by the contesting candidates and the results will be announced forthwith. The Loksabha President will always be the Ex-officio Secretariat Member of the State Executive Committee. But, in case of any policy making decision the said ex-officio member shall not have any voting right, other than election of office bearers of the State Executive Committee.

Central Committee

1. (a) The Central Committee shall be elected at the Party Congress, the numbers being decided by the Party Congress.
- (b) The outgoing Central Committee shall propose to the Congress a panel of candidates.



(सी) उम्मीदवारों का पैनल एक बनाने की दृष्टि से तैयार किया जाएगा सक्षम नेतृत्व, जनता के साथ निकटता से जुड़ा हुआ, मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी दृष्टिकोण में दृढ़ और बहुआयामीवाद में शिक्षित।

(डी) कोई भी प्रतिनिधि प्रस्तावित पैनल में किसी भी नाम के संबंध में आपत्ति उठा सकता है और साथ ही कोई नया नाम या नाम प्रस्तावित कर सकता है, लेकिन जिस सदस्य का नाम प्रस्तावित है उसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

(ई) जिसका नाम प्रस्तावित किया गया है उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(एफ) प्रस्तावित पैनल, प्रतिनिधियों द्वारा अतिरिक्त नामांकन के साथ, गुप्त मतदान द्वारा और एकल वितरण वोट की विधि द्वारा मतदान किया जाएगा। यदि कोई अतिरिक्त नामांकन नहीं होता है, तो प्रतिनिधियों का हाथ दिखाकर अनुमोदन लिया जाएगा।

2. केंद्रीय समिति दो अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस के बीच पार्टी का सर्वोच्च अधिकार होगा।

3. यह पार्टी के संविधान को लागू करने और पार्टी कांग्रेस द्वारा अपनाए गए राजनीतिक लाइन और निर्णयों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है।

4. केंद्रीय समिति समग्र रूप से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगी और पार्टी के पूरे कार्य को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार होगी। केंद्रीय समिति को पार्टी के सामने आने वाले किसी भी प्रश्न पर पूर्ण अधिकार के साथ निर्णय लेने का अधिकार होगा।

5. केन्द्रीय समिति अपने सदस्यों में से एक पोलित ब्यूरो का चुनाव करेगी महासचिव सहित। पोलित ब्यूरो में सदस्यों की संख्या केंद्रीय समिति द्वारा तय किया जाएगा। पोलित ब्यूरो जारी रखता है अपने दो सत्रों के बीच केंद्रीय समिति का काम और अधिकार है की दो बैठकों के बीच राजनीतिक और संगठनात्मक निर्णय लेना केंद्रीय समिति।

(ए) केंद्रीय समिति अपने सदस्यों में से एक सचिवालय का चुनाव करेगी। सचिवालय के सदस्यों की संख्या केंद्र द्वारा तय की जाएगी समिति। सचिवालय, पोलित ब्यूरो के मार्गदर्शन में,

पार्टी केंद्र के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को देखना और केंद्रीय समिति के निर्णयों के कार्यान्वयन में पोलित ब्यूरो की सहायता करना।

6. राज्य समितियों के सचिवों और राज्य के संपादकों का चुनाव पार्टी के अंगों को केंद्रीय समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

7. (ए) केंद्रीय समिति किसी भी सदस्य को सकल के लिए अपने आप से हटा देगी

उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुशासन का उल्लंघन, कदाचार या पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए और किसी भी मामले में इस तरह के निष्कासन के लिए मतदान करने वाली केंद्रीय समिति की कुल संख्या के आधे से अधिका।

(बी) यह अपने कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से इसकी संरचना में होने वाली किसी भी रिक्ति को भर सकता है।

(सी) यदि केंद्रीय समिति के सदस्य या सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है तो शेष सदस्य स्थानापन्न सदस्य या सदस्यों को शामिल कर सकते हैं और उन्हें मूल सदस्यों के रूप में पूरा अधिकार होगा, लेकिन गिरफ्तार सदस्यों के रिहा होने और अपने कर्तव्यों को संभालने के बाद उन्हें अपना स्थान खाली कर देना चाहिए।

(c) The panel of candidates shall be prepared with a view to creating a capable leadership, closely linked with the masses, firm in the revolutionary outlook of the working class and educated in Multidimensionalism.

(d) Any delegate can raise objection with regard to any name in the panel proposed as well as propose any new name or names, but the prior approval of the member whose name is proposed is necessary.

(e) Any one whose name has been proposed shall have the right to withdraw.

(f) The panel proposed, together with the additional nominations by the delegates, shall be voted upon by secret ballot, and by the method of single distributive vote. In case there is no additional nomination, approval of the delegates will be taken by show of hands.

2. The Central Committee shall be the highest authority of the Party between two all-India Party Congress.

3. It is responsible for enforcing the Party Constitution and carrying out the political line and decisions adopted by the Party Congress.

4. The Central Committee shall represent the Party as a whole and be responsible for directing the entire work of the Party. The Central Committee shall have the right to take decisions with full authority on any question facing the Party.

5. The Central Committee shall elect from among its members a Polit Bureau including the General Secretary. The number of members in the Polit Bureau shall be decided by the Central Committee. The Polit Bureau carries on the work of the Central Committee between its two sessions and has the right to take political and organisational decisions in between two meetings of the Central Committee.

(a) The Central Committee shall elect a Secretariat from among its members.

The number of members of the Secretariat shall be decided by the Central Committee. The Secretariat will, under the guidance of the Polit Bureau, look after the day-to-day work of the Party Centre and assist the Polit Bureau in the implementation of Central Committee decisions.

6. The election of the secretaries of the State Committees and of editors of state Party organs shall require the approval of the Central Committee.

7. (a) The Central Committee shall remove any member from itself for gross breach of discipline, misconduct or for anti-Party activity by two-thirds of the members present and voting and in any case by more than half the total strength of the Central Committee voting for such removal.

(b) It can fill up any vacancy occurring in its composition by simple majority of its total members.

(c) In case member or members of the Central Committee are arrested the remaining members can coopt substitute member or members and they shall have full right as the original members but should vacate their places as the arrested members get released and assume their duties.



8. केंद्रीय समिति की दो बैठकों के बीच का समय सामान्य रूप से नहीं होगा

तीन महीने से अधिक हो और जब भी इसके कुल सदस्यों में से एक तिहाई कोई मांग करे तो इसकी बैठक होगी।

9. केंद्रीय समिति राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों और जन आंदोलनों की समस्याओं पर चर्चा और निर्णय करेगी और जन संगठनों में राज्य समितियों और अखिल भारतीय पार्टी के अंशों का मार्गदर्शन करेगी।

10. केंद्रीय समिति पार्टी के वित्त के लिए जिम्मेदार है और वर्ष में एक बार पोलित ब्यूरो द्वारा इसे प्रस्तुत किए गए खातों के विवरण को अपनाती है।

11. केंद्रीय समिति अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक रिपोर्ट पार्टी कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जब भी वह बुलाई जाएगी।

12. पार्टी के क्रांतिकारी नेतृत्व को मजबूत करने और राज्य और जिला संगठनों पर जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केंद्रीय समिति प्रतिनिधियों और आयोजकों को भेजती है, जिन्हें हर बार केंद्रीय समिति या पोलित ब्यूरो द्वारा निर्धारित विशेष निर्देशों के आधार पर काम करना चाहिए।

13. केंद्रीय समिति जब आवश्यक समझे तो एक विस्तारित बुला सकती है

केंद्रीय समिति, या प्लेनम या सम्मेलन का सत्र। केंद्रीय समिति ऐसे निकायों के लिए प्रतिनिधियों की उपस्थिति और चुनाव की पद्धति का आधार तय करेगी।

14. आपात स्थिति या बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी के मामले में, केंद्रीय समिति, राज्य समितियों और जिला / लोकसभा समितियों को छोटे कॉम्पैक्ट निकायों में पुनर्गठित किया जाएगा। केंद्रीय समिति के ऐसे पुनर्गठन के लिए नाम शेष सदस्यों द्वारा तैयार किए जाते हैं और केंद्रीय समिति के सदस्यों द्वारा अंदर और बाहर अनुमोदित किए जाने चाहिए। राज्य और जिला समितियों के पुनर्गठन के लिए नाम संबंधित समितियों के शेष सदस्यों द्वारा तैयार किए जाते हैं और उन्हें उनकी अगली उच्च समिति द्वारा अनुमोदित। वे अपने कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आवश्यकतानुसार उप-समितियां बना सकते हैं। पुनर्गठित केंद्रीय समिति को पार्टी संगठन की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाने का अधिकार है। लेकिन जब स्थिति सामान्य होती है तो निर्वाचित समितियों को बहाल कर दिया जाता है।

चुनाव समिति

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का चुनाव

कार्यकारी समिति समिति के सदस्य

1. पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष के पद के उम्मीदवार का उद्देश्य और समर्थन पार्टी कांग्रेस के सदस्यों द्वारा बैठक में ही किया जाएगा।
2. यदि प्रस्तावित सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक संख्या से अधिक है, तो चुनाव होगा।
3. मतदान गुप्त मतदान/हाथ दिखाकर होगा।
4. उपरोक्त चुनाव नियम नियमित चुनाव के बीच होने वाले उपचुनाव पर लागू होंगे।



8. The time between two meetings of the Central Committee shall not normally exceed three months and it shall meet whenever one third of its total members make a requisition.

9. The Central Committee shall discuss and decide political and organisational issues and problems of mass movements and guide the State Committees and all-India Party fractions in mass organisations.

10. The Central Committee is responsible for the Party finances and adopts the statement of accounts submitted to it by the Polit Bureau once a year.

11. The Central Committee shall submit its political and organisational report before the Party Congress, whenever it is convened.

12. With the aim of strengthening the revolutionary leadership of the Party and ensuring a check-up over the State and district organisations, the Central Committee sends representatives and organisers, who must work on the basis of special instructions laid down every time by the Central Committee or Polit Bureau.

13. The Central Committee may when it deems necessary convene an extended session of the Central Committee, or Plenum or Conference. The Central Committee shall decide the basis of attendance and method of election of delegates for such bodies.

14. In case of emergency or in case of large-scale arrests, the Central Committee, the State Committees, and the District /Loksabha Committees shall be reorganized into smaller compact bodies. The names for such reorganization of the Central Committee are prepared by the remaining members and should be approved by the members of the Central Committee inside and outside. The names for the reorganization of State and District Committees are prepared by the remaining members of the respective committees and are to be approved by their next higher committee. They can form sub-committees as they deem it necessary, to discharge their functions and responsibilities. The reconstituted Central Committee is empowered to frame new rules for safeguarding the Party organization. But when the situation normalizes the elected Committees are restored.

Election committee

Election of President, Vice President, Treasurer and Members of the Executive Committee Committee

1. The candidate for the office of the President, the Vice President or the Treasurer of the Party Congress shall be purposed and seconded in the meeting itself by members of the Party Congress.
2. In case of the Member proposed is more than the number required to be elected, there shall be an election.
3. The voting shall be by secret ballot/show of hands.
4. The above election rules shall apply to the by-election that may be caused in between the regular election.



चुनाव प्रक्रिया

1. रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त करने के बाद उनकी जांच करेगा और निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार कर देगा:

- क) कि उम्मीदवार होने पर चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है किसी भी जिला/लोकसभा पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष या डिफाल्टर।
- ख) उम्मीदवार द्वारा जमा किया गया नामांकन पत्र विधिवत हस्ताक्षरित नहीं है और उसका नाम पार्टी कांग्रेस द्वारा तैयार की गई सक्रिय सदस्य सूची में नहीं है।
- ग) पार्टी कांग्रेस के रिटर्निंग अधिकारी जांच के बाद उन उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित करेंगे, जिनके नामांकन वैध पाए गए हैं।
- घ) प्रतियोगिता के मामले में, चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा और परिणाम साधारण बहुमत से निर्धारित किया जाएगा।
- ई) पार्टी कांग्रेस के केवल वे सदस्य जो डिफाल्टर नहीं हैं, वोट डालने के पात्र होंगे।
- च) एक मतदाता केवल एक वोट डालेगा।
- छ) उपरोक्त चुनाव नियम उन उप-चुनावों पर लागू होंगे जो नियमित संगठनात्मक चुनाव के बीच हो सकते हैं।

चुनाव मशीनरी

1. राज्य रिटर्निंग अधिकारी और उनके अधीन अन्य सभी रिटर्निंग ऑफिसर, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होंगे और पार्टी के किसी भी पद पर नहीं होंगे।
2. जिला/लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी अपने कार्यालय जिला/लोकसभा पार्टी कांग्रेस के संबंधित मुख्यालयों में स्थापित करेंगे।
3. रिटर्निंग ऑफिसर राज्य में सभी पार्टी कांग्रेस चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। वह पार्टी कांग्रेस कार्यकारिणी के परामर्श से चुनाव के लिए समय सारिणी तय करेगा। वह चुनाव के उचित संचालन और उसके तहत नियमों के लिए आवश्यक निर्णय लेगा।
4. पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष को इस बात से संतुष्ट होने पर कि रिटर्निंग अधिकारी अपने कार्यालय के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है, एक रिटर्निंग अधिकारी को पद से हटाने के लिए सक्षम होगा बशर्ते कि इस तरह की कार्रवाई से पहले उचित अवसर दिया गया हो उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए दिया जाएगा।
5. रिटर्निंग अधिकारी किसी भी जिला/लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी या किसी अन्य चुनाव अधिकारी को हटा सकता है यदि वह संतुष्ट है कि जिला/लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी अपने कार्यालय के अनुकूल तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है बशर्ते कि ऐसी कार्रवाई से पहले उसके खिलाफ खरीदे गए आरोपों का जवाब देने के लिए उसे उचित अवसर दिया जाएगा।

Election Procedure

1. The Returning Officer after receiving the nomination papers, shall scrutinize them and shall reject any nomination paper on any one or more of the following grounds:
 - a) That the candidate is not eligible to contest on being President of any District/Loksabha Party Congress or a defaulter.
 - b) The nomination paper submitted by the candidate is not duly signed and his / her name doesn't appear in the active members roll prepared by Party Congress.
 - c) The Party Congress Returning officer after scrutiny shall publish the names of the candidates, whose nominations have been found to be valid.
 - d) In the case of a contest, the election shall be held by secret ballot and the result shall be determined by simple majority.
 - e) Only those members of the Party Congress who are not defaulters shall be eligible to cast vote.
 - f) A voter shall cast only one vote.
 - g) The above election rules shall apply to the by-elections that may be caused in between regular organisational election.

Election Machinery

1. State Returning Officer and all other Returning Officer under him as may be appointed by the President, Party Congress shall be Active members of the Party Congress and shall not held any office of the party
2. The District/Loksabha Returning Officer shall locate their offices at the respective headquarters of the district/Loksabha Party Congress.
3. The Returning officer shall be responsible for the conduct of all Party Congress elections in the state. He shall fix the timetable for election in consultation with the Party Congress Executive. He shall take necessary the decision for the proper conduct of the election and the Rules thereunder.
4. The President of Party Congress shall be competent to remove from office a Returning officer on being satisfied that the Returning Officer has failed to discharge his/her duties in a manner befitting to his/her office provided that before such action is taken due opportunity shall be given to him/her to answer the charges brought against him/her.
5. The Returning Officer can remove any District/Loksabha Returning officer or any other election officer if he is satisfied that the District/Loksabha Returning officer has failed to discharge his/her duties in a manner befitting to his office provided that before such action is taken due opportunity shall be given to him/her to answer the charges bought against him/her.



6. रिटर्निंग ऑफिसर या किसी अन्य अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर या पार्टी कांग्रेस कार्यकारी समिति की अनुमति के बिना अपने किसी भी कार्य को सौंपने की शक्ति नहीं होगी।

7. निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों को उनके संबंधित क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारी या किसी अन्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

8. जिला/लोकसभा निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन जिला/लोकसभा में सभी पार्टी कांग्रेस चुनावों के संचालन के लिए एक जिला/लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी जिम्मेदार होगा। वह जिला/लोकसभा पार्टी कांग्रेस कार्यकारी के परामर्श से और जिला/लोकसभा में रिटर्निंग अधिकारी, मतदान और अन्य अधिकारियों के अनुमोदन से नियुक्त करेगा।

9. उम्मीदवार द्वारा पार्टी कांग्रेस कार्यकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नामांकन पत्र संबंधित जिला/लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल किया जाएगा।

10. मतदान की समाप्ति पर, संबंधित मतदान अधिकारी- प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की गणना करें और रिटर्निंग अधिकारी को आंकड़ों की रिपोर्ट करें।

11. प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या से संबंधित आंकड़े प्राप्त होने पर, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा।

12. हाथ दिखाकर मतदान होने की स्थिति में बैठक में उपस्थित पात्र सदस्य किसी विशेष उम्मीदवार के समर्थन में हाथ उठाएंगे जिसकी गणना रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जायेगी और परिणाम घोषित किया जायेगा। इसके तुरंत बाद।

चुनाव समिति की शक्ति और कार्य

i. विधानसभा/संसद/स्थानीय निकायों/पंचायतों आदि के चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार/उम्मीदवारों के आवेदनों की जांच करेगा।
द्वितीय उसके जीतने की संभावना के आधार पर उम्मीदवारी की पात्रता का निर्धारण करेगा।

iii. विभिन्न के चयनित उम्मीदवारों की सूची अग्रेषित करेंगे
पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए किसी भी चुनाव के निर्वाचन क्षेत्र।

चुनावी विवाद

1. पार्टी कांग्रेस के कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य के चुनाव के खिलाफ शिकायतों को ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पार्टी कांग्रेस कार्य समितियों के समक्ष भरा जाएगा।

2. केवल पार्टी कांग्रेस का एक सदस्य खंड - I में संदर्भित याचिका दायर कर सकता है।

3. खंड-I के अलावा प्रत्येक चुनाव याचिका ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा के 7 दिनों के भीतर संबंधित जिला/लोकसभा पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष के समक्ष दायर की जाएगी। यदि चुनाव याचिका भरने के समय जिले/लोकसभा में कोई जिला/लोकसभा पार्टी कांग्रेस कार्य नहीं कर रही है और एक तदर्थ समिति कार्यरत है, तो चुनाव याचिका तदर्थ समिति के संयोजक को प्रस्तुत की जाएगी।

6. Returning officer or any other officer shall have not the power to delegate any of his/her functions except with the permission of the Returning officer or of the Party Congress Executive Committee.

7. Candidates for election shall not be appointed as Returning officers or any other election officers in their respective areas.

8. Subject to the supervision and control of a Returning officer a District/Loksabha Returning officer shall be responsible for the conduct of all Party Congress elections in the district/Loksabha. He/she shall appoint in consultation with the District/Loksabha Party Congress Executive and with the approval of the returning officer, Polling and other officers in the district/Loksabha.

9. Nomination papers in the form prescribed by the Party Congress Executive shall be filed before the concerned District/Loksabha Returning officer by the candidate.

10. At the close of polling, the polling officer concerned shall count the votes secured by each candidate and report the figures to the Returning officer.

11. On receipt of the figures relating to the number of votes secured by each candidate, the returning officer shall declare the result.

12. In case of voting to be done by show of hands, the eligible members present in the meeting shall be raise their hands in support of a particular candidate which will be counted by the Returning Officer and the result shall be declared immediately thereafter.

Power & Function of the Election Committee

i. Shall scrutinize the applications of the intending candidate/candidates for election to Legislative assembly / Parliament / Local bodies/ Panchayats etc.

ii. Shall determine the eligibility of the candidature on the basis of his/her winning prospect.

iii. Shall forward the list of the selected candidates of various constituencies of any election to the President of Party Congress.

Election Dispute

1. Complaints against the election of the President, Vicepresident, Treasurer, member of the Executive body of the Party Congress shall be filled before the Party Congress Working Committees within 30 days of the declaration of the result of such election.

2. Only a member of Party Congress can file a petition referred to in clause – I .

3. Every election petition other than those in Clauses –I shall be filed before the President of the District/Loksabha Party Congress concerned within 7 days of the declaration of the result of such an election. If there is no District/Loksabha Party congress functioning in the district/Loksabha at the time of filling the election petition and there is an ad-hoc committee functioning, the election petition shall be presented to the convener of the Adhoc committee



4. जिला/लोकसभा पार्टी कांग्रेस/ब्लॉक पार्टी कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकारी निकाय के सदस्यों के चुनाव के खिलाफ पार्टी कांग्रेस की कार्यकारी समिति के समक्ष याचिका दायर की जाएगी। चुनाव याचिका संबंधित अधिकारियों को या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।

5. किसी भी कांग्रेस निकाय के लिए यह सक्षम नहीं होगा कि वह किसी सदस्य या पदाधिकारी को याचिका या अपील के निपटारे के लंबित कार्य करने से रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करे।

6. जिला/लोकसभा पार्टी कांग्रेस के कार्यकारी निकाय के निर्णय के खिलाफ अपील पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष के समक्ष जिला /लोकसभा पार्टी कांग्रेस के कार्यकारी निकाय के निर्णय की घोषणा के 10 (दस) दिनों के भीतर भरी जाएगी। . ऐसी सभी अपीलों का निपटारा उनकी प्रस्तुति के तीस 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यदि कार्यकारी निकाय और पार्टी कांग्रेस ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो पार्टी कांग्रेस कार्य समिति उनके निपटान के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर सकती है।

7. पार्टी कांग्रेस का कार्यकारी निकाय चुनाव याचिकाओं और अपीलों के निपटान के संबंध में व्यवसाय के संचालन के लिए नियम बनाने के लिए सक्षम होगा, लेकिन पार्टी कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अनुमोदित होने से पहले ऐसे नियमों को लागू नहीं किया जाएगा।

8. उम्मीदवार के अलावा कोई भी व्यक्ति जो चुनाव याचिका या अपील दायर करता है, उम्मीदवार की सहमति के बिना संबंधित कार्यकारी निकाय के समक्ष पैरवी नहीं करेगा।

9. पार्टी कांग्रेस के कार्यकारी निकाय के निर्णय के खिलाफ अपील पार्टी कांग्रेस के कार्यकारी निकाय द्वारा निर्णय की घोषणा के 15 दिनों के भीतर पार्टी कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष दायर की जा सकती है। पार्टी कांग्रेस कार्यसमिति गंभीर अनियमितताओं वाले मामलों की ही जांच करेगी।

अनुशासन के नियम।

1. निम्नलिखित अनुशासनहीनता के कृत्यों का गठन करेंगे:

- (i) पार्टी की घोषित नीतियों के विपरीत कार्य करना;
- (ii) पार्टी की नीतियों की खुली और सार्वजनिक आलोचना करना।
- (iii) पार्टी के भीतर एक समूह बनाना या पार्टी के संवैधानिक रूप से नियुक्त पदाधिकारी के अधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से किसी सदस्य को समर्थन देना;
- (iv) सदस्यों के बीच द्वेष भावना फैलाना या बदनामी का अभियान चलाना;
- (v) किसी भी तरह से पार्टी के कामकाज में बाधा डालना;
- (vi) पार्टी के धन का दुरुपयोग करना;
- (सात) किसी पार्टी या समूह या संघ में शामिल होने के लिए जिसे पार्टी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है या जिसके सिद्धांतों को केंद्रीय कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है;
- (viii) पार्टी के पदाधिकारी होने के कारण निहित अधिकार का दुरुपयोग करना, या इस तरह के अधिकार का उपयोग करने में विफल होना और इस तरह पार्टी के एक घटक के कामकाज में विफलता लाना;
- (xi) किसी भी चुनाव में पार्टी द्वारा स्थापित एक आधिकारिक उम्मीदवार का विरोध करने के लिए।

4. A petition against the election of the office-bearers and members of the Executive body of the District/Loksabha Party congress / Block Party Congress shall be filed before the Executive Committee of the Party Congress. Election petition may be presented to the respective authorities either in person or by registered post.

5. It shall not be competent for any congress body to pass any interim order by way of stay of function prohibiting a member or officer bearer from acting as such pending the disposal of the petition or appeal.

6. Appeal against the decision of the executive body of the District/Loksabha Party Congress shall be filled before the President of the Party Congress within 10 (ten) days of the declaration of the decision of the Executive body of the District /Loksabha Party Congress. All such appeals should ordinarily be disposed of within thirty 30 days of their presentation. If the Executive body and the Party congress fail to do so, Party Congress Working Committee suo motto may make suitable arrangements for their disposal.

7. The Executive body of the Party Congress shall be competent to frame regulations for the conduct of business in connection with the disposal of election petitions and appeals but such regulations shall not be enforced before they are approved by the Party Congress Working Committee.

8. No person other than the candidate who files the election petition or appeal shall plead before the executive body concerned except with the consent of the candidate.

9. Appeals against the decision of the Executive body of Party Congress may be filed before the Party Congress Working committee within 15 days of the declaration of the decision by the Executive Body of the Party Congress. The Party Congress Working Committee will look into the cases which are of grave irregularities only.

Rules of Discipline.

1. The following shall constitute acts of indiscipline:

- (i) To act contrary to the declared policies of the Party;
- (ii). To indulge in open and public criticism of the policies of the Party.
- (iii). To form a group within the Party or to give support to any member with the object to challenge the authority of a constitutionally appointed office bearer of the party;
- (iv). To spread ill feelings among members or to carry out a campaign of vilification;
- (v). To obstruct the working of the Party in any way;
- (vi). To misappropriate the funds of the Party;
- (vii). To join a party or a group or an association not recognized by the Party or whose principles are not approved by the Central Executive Committee;
- (viii). To misuse authority vested by virtue of being an office bearer of the Party, or to fail to use such authority and thereby to bring about a failure of the functioning of a constituent of the Party; and
- (ix). To oppose an official candidate set up by the Party in any election.



2. अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य का दोषी कोई सदस्य दंड के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक शामिल हो सकते हैं:

(i) पार्टी से निष्कासन जो स्थायी हो सकता है;

(ii) एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पार्टी की सदस्यता से निलंबन;

(iii) पद से हटाना;

(iv) पद धारण करने के लिए विकलांगता का अधिरोपण जो एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या स्थायी हो सकता है।

3. जिस किसी भी सदस्य के खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप लगाए जाते हैं, उस पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कार्यकारी समिति या केंद्रीय कार्यकारी समिति द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा।

मामला हो सकता है; हालांकि अनुशासनहीनता के किसी भी मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे संज्ञान ले सकते हैं।

4. सजा के आदेश से व्यथित सदस्य अपील कर सकता है

राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष, जो, यदि वह उचित समझे, अपील को सुनवाई के लिए केंद्रीय कार्यकारी समिति को संदर्भित कर सकते हैं या स्वयं अपील की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

5. केन्द्रीय कार्यकारी समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन पर अपील के मामलों में आदेश जारी करेगी।

6. राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश/अनुमोदन अंतिम होगा।

अनुशासन का उल्लंघन:

अनुशासन के उल्लंघन में निम्नलिखित शामिल हैं;

(i) पार्टी के कार्यक्रमों और फैसलों के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई करना या प्रचार करना।

(ii) जानबूझकर नियमों की अवहेलना करना या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना करना।

(iii) पार्टी फंड, सदस्यों के नामांकन या समितियों के चुनाव से संबंधित धोखाधड़ी की कार्रवाई में शामिल होना।

(iv) नैतिक अधमता, कालाबाजारी से जुड़े अपराधों का दोषी होना, मिलावट, रिश्ततखोरी, भ्रष्टाचार, जालसाजी और पार्टी के धन का गबना।

(v) पार्टी की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए जानबूझकर काम करना या पीड़ित को बदनाम करने के इरादे से किसी पार्टी पदाधिकारी/इकाई के खिलाफ प्रचार करना।

सजा

(ए) एक पार्टी इकाई के मामले में, ऐसी एक इकाई का अधिक्रमण और मामले या इकाई के व्यक्तिगत सदस्यों के मामले में ऐसी कार्रवाई जो आवश्यक हो सकती है,

(बी) किसी पार्टी इकाई के पदाधिकारी या सदस्य के मामले में, सदस्यता के पद से उसका निष्कासन और उस अवधि का निर्धारण जिसके दौरान उसे किसी भी कार्यालय या किसी इकाई की सदस्यता के लिए निर्वाचित या नामित नहीं किया जा सकता है या प्राथमिक के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता है सदस्य,

(सी) एक प्राथमिक या सक्रिय सदस्य के मामले में, सदस्यता से उसका निष्कासन और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सदस्यता से अयोग्यता,

2. Any member guilty of any act of indiscipline shall be liable to punishment which may include one or more of the following:

(i). Expulsion from the Party which may be permanent;

(ii). Suspension from the membership of the Party for a specified period;

(iii). Removal from office;

(iv). Imposition of disability to hold office which may be for a specified period or permanent.

3. Any member against whom charges of indiscipline are levied shall be tried by the State/UT Executive Committee, or the Central Executive Committee as the case may be; although the National President can directly take cognizance of any case of indiscipline.

4. A member aggrieved by an order of punishment may appeal

before the National President, who may, if he considers appropriate, refer the appeal to Central Executive Committee for hearing or proceed to hear the appeal himself.

5. The Central Executive Committee shall issue orders in cases of appeal on the approval of the National President.

6. The order/approval of the National President shall be final.

Breach of Discipline :

Breach of discipline includes the following ;

(i) Deliberately acting or carrying on propaganda against the programmes and decisions of the Party.

(ii) Deliberately disregarding rules or disobeying orders passed by any competent authority.

(iii) Indulging in fraudulent action relating to party funds, enrolment of members or election to Committees.

(iv) Being guilty of offences involving moral turpitude, black marketing, adulteration, bribery, corruption, forgery, and embezzlement of Party funds.

(v) Deliberately acting in a way calculated to lower the prestige of the Party or carrying on propaganda against any party functionary / unit with an intent to malign the victim.

Punishment

(a) In case of a party unit, supersession of such a Unit and in case or individual members of the unit such action as may be necessary,

(b) In the case of an office-bearer or member of any party unit, his removal from office of membership and fixation of a period during which he cannot be elected or nominated to any office or membership of any unit or enrolled as a primary member,

(c) In the case of a primary or active member, his removal from membership and disqualification from membership for a specified period,



(डी) बशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति, जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई बीईयू लिया गया है और दंडित किया गया है, किसी का सदस्य है स्थानीय निकाय, विधायिका, संसद या कोई अन्य पद धारण करता है पार्टी के सदस्य होने के कारण, उन्हें भी बुलाया जा सकता है ऐसे निकायों से इस्तीफा देने के लिए।

(बी) नोटिस

(i) नोटिस:- अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम समिति के अध्यक्ष के कहने पर जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें लगता है कि समिति या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अनुशासन का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है।

(ii) बिना किसी अनुशासन के कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी

संबंधित व्यक्ति को अपने मामले की व्याख्या करने और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने का अवसर दिया जा रहा है।

(iii) हालांकि निलंबन, लंबित जांच के लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

(सी) अपील:

अनुशासन समिति के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी सदस्य अपने प्रस्तावित दंड के निवारण के लिए अध्यक्ष/अध्यक्ष से अपील कर सकता है।

विशेष सत्र

1. पार्टी का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऐसा निर्णय लेती है या यदि राष्ट्रीय परिषद के कम से कम 1/3 सदस्य संयुक्त रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस तरह के एक विशेष सत्र को बुलाने का अनुरोध करते हैं, जिसमें निर्दिष्ट एजेंडे पर चर्चा की जाती है। मांगा।

2. राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य विशेष सत्र के लिए प्रतिनिधि होंगे

महिला आरक्षण पार्टी की टीम बी

मुख्य पार्टी के अंदर ही एक सब पार्टी टीम बी महिलाओं के लिए आरक्षित होगी जिसमें महिला पदाधिकारी मुख्य कार्यकारिणी की भांति जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी जिनके पास मुख्य कार्यकारिणी की टीम पर अंकुश लगाने का अधिकार सुरक्षित होगा साथी साथ मुख्य कार्यकारिणी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को छोड़कर किसी भी साथी को निष्कासित करने का भी अधिकार सुनिश्चित होगा किसी भी पुरुष साथी को निष्कासित करने से पहले महिला कार्यकारिणी का निर्णय सर्वमान्य होगा मुख्य कार्यकारिणी में पुरुष साथी पुरुष साथी को निष्कासित बगैर महिला कार्यकारिणी के के सहमति से नहीं किया जा सकता महिलाओं के कार्य और अधिकार मुख्य कार्यकारिणी के तौर पर उप कार्यकारिणी टीम बी की तरह अधिकार सुनिश्चित होंगे

शक्तियां और क्षेत्राधिकार

1. पूर्ण सत्र या विशेष सत्र में लिए गए सभी निर्णय सभी इकाइयों, अंगों, संबद्ध समितियों, प्रकोष्ठों और पार्टी के सदस्यों के लिए बाध्यकारी होंगे।
2. उल्लिखित निर्णयों के अधीन, राष्ट्रीय परिषद पार्टी का सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय होगा।

(d) Provided that if any person, against whom disciplinary action has been taken and punishment awarded, is a member of any local body, legislature, Parliament or holds any other position by virtue of his being a partyman, he may also be called upon to resign from such bodies.

(b) Notices.

(i) Notice:- Can be issued at the instance of the President of the Committee, competent to take disciplinary action, provided that he feels there is a prima facie breach of discipline against the Committee or person concerned.

(ii) No disciplinary action shall be taken without an opportunity being given, to an individual concerned, to explain its or his/her case and answer such charges as are made against it or him/her.

(iii) However no Notice is required for Suspension, pending enquiry.

(c) Appeal:

Any member dissatisfied with the decision of the Disciplinary Committee may make an appeal to the Chairman / Chairperson for redresses of his/her proposed punishment.

Special Session

1. A Special Session of the Party will be held, if the National Executive so decides or if at least 1/3 members of the National Council Jointly make a request to the National President to convene such a special session for discussing an agenda specified in the demand.

2. All members of the National Council shall be delegates for the Special Session

Women's Reservation party team B

Within the main party, a sub party team B will be reserved for women, in which women officers will discharge the responsibilities like the chief executive, who will have the right to control the team of the chief executive. The right to expel any partner will also be ensured, before expelling any male partner, the decision of the female executive will be valid. And as the Chief Executive the rights will be ensured like the Deputy Executive Team B.

Powers and jurisdiction

1. All decisions taken at a Plenary Session or a Special Session shall be binding on all units, organs, allied Societies, Cells and members of the Party.

2. Subject to the decisions mentioned in, the National Council shall be the highest policy-making body of the Party.



3. उपखंड 1 और 2 के अधीन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी का सर्वोच्च अधिकार होगा। प्रत्येक शक्ति जो विशेष रूप से किसी अन्य अंग में निहित नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा प्रयोग की जा सकती है। यह सभी इकाइयों और अंगों के कार्यों को करने के लिए नियम निर्धारित करेगा। यह निधियों के रख-रखाव के लिए नियम बनाएगा जिनका वार्षिक लेखा-परीक्षा और अनुमोदन किया जाएगा, अन्य सभी इकाइयों की शक्तियों को आवंटित करना राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कर्तव्य होगा।

और निकाय, नियम बनाने के लिए, चुनाव कराने के लिए मशीनरी बनाने के लिए और विवादों के निपटारे के लिए।

4. अन्य सभी अंग और इकाइयाँ ऐसे कार्यों का पालन करेंगी और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

अध्यक्ष/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

संसदीय बोर्ड

- i) संसदीय बोर्ड उन सभी चुनावों के संबंध में उम्मीदवारों का चयन करने का निर्णायक प्राधिकारी होगा जिनमें पार्टी लड़ती है।
- ii) संसदीय बोर्ड में समन्वयक, संयुक्त समन्वयक और समन्वयक और संयुक्त द्वारा नामित पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सामान्य परिषद के सदस्यों में से समन्वयक।
- iii) यदि आवश्यक हो तो संसदीय बोर्ड चुनाव के संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए उप-समितियाँ नियुक्त कर सकता है।
- iv) अत्यावश्यकता के दौरान, जहां संसदीय बोर्ड की बैठक के लिए पर्याप्त समय नहीं है, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक को निर्णय लेने और बाद में सामान्य परिषद द्वारा उसकी पुष्टि करने की शक्ति होगी।

पार्टी फंड

1. निधि संग्रहण रसीदें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ही मुद्रित की जाएंगी।
2. प्रत्येक रसीद को विधिवत क्रमांकित किया जाएगा और 20 रसीदों वाली पुस्तकों में जारी किया जाएगा।
3. प्रत्येक रसीद पर संबंधित कोषाध्यक्ष के फैक्स हस्ताक्षर होंगे। प्रतिपत्र पर उस सदस्य द्वारा पूर्ण रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे जो धन एकत्र करता है।
4. बैंक खाता पार्टी के नाम से मंडल समिति स्तर तक खोला जाएगा, जिसका संचालन इकाई के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष या महासचिव में से किन्हीं दो द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
5. राज्य के नेता को दिए गए पर्स की राशि को निम्नानुसार विभाजित किया जाएगा:

मंडल 30% पी.सी.

लोकसभा /जिला 40% पी.सी.

राज्य 30% पी.सी.

मामले में जहां एक केंद्रीय नेता को एक पर्स प्रस्तुत किया गया है, राज्य के हिस्से का 1/2 केंद्र को प्रेषित किया जाएगा।

3. Subject to sub-clause 1 and 2, the National Executive shall be the highest authority of the Party. Every power not specifically vested in any other organ shall be exercisable by the National Executive. It shall lay down rules for carrying out the functions of all units and organs. It shall frame rules for the maintenance of funds which will be audited and approved annually, It shall be the duty of the National Executive to allocate the powers of all other units and organs, to frame rules, to create machinery for holding elections and for settlement of disputes therefrom.

4. All other organs and units shall perform such functions and carry out such duties in their respective areas as may be determined by the National Executive.

The decision of the Chairman/ Chairperson is final.

Parliamentary board

- i) The Parliamentary Board will be the deciding authority to select candidates in respect of all elections in which the Party contests.
- ii) The Parliamentary Board will consist of Co-ordinator, Joint Co-ordinator and not more than fifteen other members nominated by Co-ordinator and Joint Co-ordinator from among the members of the General Council.
- iii) If necessary the Parliamentary Board may appoint sub-committees to get the view of Party workers regarding the election.
- iv) During exigencies, where there is no sufficient time for the Parliamentary Board to meet, the Co-ordinator and Joint Co-ordinator shall have the power to take decision and get the same ratified subsequently by the General Council.

Party funds

1. Fund collection receipts will be printed at the National and State levels only.
2. Each receipt will be duly numbered and issued in books containing 20 receipts.
3. Each receipt shall bear a facsimile signature of the concerned Treasurer. The counterfoil will be signed in full by the member who collects the money.
4. Bank Account will be opened in the name of the Party upto a Mandal Committee level to be jointly operated by any two amongst the Treasurer and the President or the General Secretary of the Unit
5. Amount of a purse presented to a State leader shall be divided as under:

Mandal 30 %p.c.

Loksabha/District 40% p.c.

State 30% p.c.

In case where a purse has been presented to a Central Leader,

1/2 of State's share would be remitted to the Centre.



6. लेखा वर्ष पहली अप्रैल से होगा।
7. प्रत्येक समिति के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा संबंधित समिति के संकल्प द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाएगी और वार्षिक रूप से अनुमोदित की जाएगी।
8. आजीविका सहयोग निधि योगदान देने वाला कोई भी व्यक्ति रु. 1,000/5,000/10,000 प्रति वर्ष कूपन के बदले एक जीवन सहयोगी होगा।

केंद्रीय समिति वित्त नियम

1. केंद्रीय समिति अपनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट नियुक्त करने के लिए अधिकृत है।
2. केंद्रीय समिति को प्रत्येक वर्ष, या जैसा भी मामला हो, पार्टी के केंद्रीय तंत्र को चलाने के लिए पार्टी फंड या विशेष पार्टी फंड ड्राइव के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि का फैसला करना है।
3. पोलित ब्यूरो एक वित्त उप-समिति का गठन करेगा जो बैठक करेगी और
 - (ए) वित्तीय मामलों और राशियों से जुड़े व्यय पर निर्णय लेना रुपये तक केवल दस हजार उच्च सीमा के व्यय को पी.बी.
 - (बी) वित्त उप-समिति सीसी और इसकी स्थापना के तिमाही खातों को पोलित ब्यूरो में रखेगी।
 - (सी) वित्त उप-समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक खातों को प्रस्तुत करेगी केंद्रीय समिति को इसके अनुमोदन के लिए (जैसा कि पार्टी संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है)।
 - (डी) उप-समिति का एक सदस्य पार्टी के वित्त की आय और संचितरण का प्रभारी होगा जिसके बाद इन्हें पारित किया जाएगा लेखा प्रभारी को अंतिम रूप देने और संकलन के लिए।
 - (ई) उप-समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले पार्टी के अंगों और अन्य प्रतिष्ठानों (यदि कोई हो) के अर्ध-वार्षिक खाते।

सदस्यों की बैठक के लिए कोरम

- i) पार्टी इकाई की कार्यवाही का संचालन करने के लिए कुल सदस्यों का पांचवां हिस्सा पार्टी की संबंधित इकाइयों में मौजूद होना चाहिए, अर्थात् ग्राम पंचायत इकाइयाँ, जिला/लोकसभा इकाइयाँ, और केंद्रीय संगठन की कार्यकारी और सामान्य परिषदों को भी।
- ii) कार्यकारी समिति के सदस्य जो बिना अनुमति के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं, उनके पदों को खो दिया जाएगा। कार्यकारी समिति के पास उनके लिखित अभ्यावेदन पर उन्हें बहाल करने की शक्ति होगी।

इस्तीफे

- i) पार्टी इकाई का कोई सदस्य या पदाधिकारी संबंधित इकाई को लिखित में इस्तीफा देकर अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकता है।
- ii) ऐसे त्याग पत्र इकाई की कार्यकारी समिति की सहमति से पार्टी मुख्यालय को भेजे जाएंगे।
- iii) ऐसा व्यक्ति जो अपने पद का त्याग करता है, पार्टी की निधि, संपत्ति, फाइलें और खाते पार्टी इकाई के पदाधिकारियों को या पार्टी इकाई के पदाधिकारियों को उसके स्तर से ऊपर या पार्टी मुख्यालय को सौंप देगा।

6. Accounting year shall be from First April.
7. Annual accounts of each Committee will be audited by a person appointed by a resolution of the concerned Committee and approved annually.
8. Aajeeewan Sahayog Nidhi. Any individual contributing Rs. 1,000/5,000/10,000 per year against coupons will be a Aajeeewan Sahayogi.

Central Committee Finances Rules

1. The Central Committee is authorised to appoint a Trust to manage its properties.
2. The Central Committee is to decide each year, or as the case may be, the quantum each State will pay towards Party fund or special Party fund drive to run the Party's central apparatus.
3. Polit Bureau will constitute a Finance Sub-Committee which will meet and
 - (a) Take decision on financial matters and expenditure involving amounts upto Rs. ten thousands only. Expenditure of higher limit will be referred to the P.B.
 - (b) Finance Sub-Committee will place quarterly accounts of the CC and its establishment to the Polit Bureau.
 - (c) Finance Sub-Committee will submit yearly accounts as approved by the to the Central Committee for its approval (as laid down by the Party Constitution).
 - (d) One member of the Sub-Committee will be incharge of the income and disbursement of the Party finances after which these will be passed over to the accounts incharge for finalisation and compilation.
 - (e) Half-yearly accounts of the Party organs and other establishments (if any) to be submitted to the Sub-Committee.

Quorum for the meeting of the members

- i) To conduct the proceedings of the Party unit's one-fifth of the total members should be present in the respective units of the Party, viz. Village Panchayat Units, District Units, and also to the Executive and General Councils of the Central Organisation.
- ii) The Executive Committee members who absent themselves for three consecutive meetings without permission, shall forfeit their posts. The Executive Committee will have powers to restore them on their written representations.

Resignations

- i) A member or an office bearer of a Party unit may resign his membership by giving the resignation in writing to the unit concerned.
- ii) Such resignation letters shall be forwarded to the Headquarters of the Party with the consent of the Executive Committee of the unit.
- iii) Such person who resigns his post shall handover the Party's funds, belongings, files and accounts to the office bearers of the Party unit or to the office bearers of the Party unit next above its level or to the Headquarters of the Party.



रिक्ति

(ए) इस्तीफे या निष्कासन या मृत्यु या आदतन अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को संबंधित पार्टी समितियों द्वारा भरा जाएगा,

सह विकल्प द्वारा सदस्य की श्रेणी, सामने या क्षेत्राधिकार के बीच।

(ख) उपसमितियों आदि में रिक्तियों की पूर्ति नियुक्ति समिति द्वारा उसी प्रकार की जायेगी।

(ग) महासचिव के पद की रिक्ति केवल परिषद या प्रतिनिधियों के सत्र द्वारा भरी जाएगी। संबंधित समितियां कार्यवाहक जनरल का चुनाव करेंगी अंतरिम अवधि के लिए सचिव।

नोट: इस प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक हो तो मत साधारण बहुमत से होंगे।

पार्टी कांग्रेस और सम्मेलन:

पार्टी कांग्रेस/सम्मेलनों में प्रतिनिधि के रूप में किसी भी स्तर पर निर्वाचित होने के इच्छुक पार्टी सदस्य मतदाताओं को अपनी उम्मीदवारी प्रदान करेंगे। पार्टी के सदस्य के रूप में ऐसा उम्मीदवार पार्टी संगठन से संबंधित होना चाहिए या उससे जुड़ा होना चाहिए जहां प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है और उसकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव और न्यूनतम संख्या में मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए, जिसकी संख्या और अन्य नियम संबंधित हैं ऐसे चुनावों के लिए केंद्रीय समिति या किसी अन्य उपयुक्त उच्च पार्टी समिति द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

पार्टी के दिग्गज

कोई भी कामरेड जिसने पार्टी और मेहनतकश लोगों के लिए लंबे समय तक सेवा की है और किसी भी पार्टी परिषद का सदस्य रहा है और जिसका परिषद के विचार-विमर्श में योगदान उपयोगी और फायदेमंद माना जाता है लेकिन जो अब असमर्थ है, पुराने कारणों से उम्र या बीमारी, सक्रिय दैनिक कार्य करने के लिए, पार्टी को अपने अनुभव और सलाह का लाभ देने की दृष्टि से संबंधित पार्टी परिषद की बैठकों में स्थायी आमंत्रित किया जा सकता है।

संविधान के संशोधन

इस संविधान का संशोधन केन्द्रीय महापरिषद द्वारा साधारण बहुमत से किया जा सकता है, परन्तु इस संविधान का संशोधन केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के संकल्प द्वारा भी किया जा सकता है।

पार्टी का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार, बशर्ते संशोधित प्रावधान उद्देश्य, उद्देश्यों और मूल पार्टी संरचना के विरुद्ध न हों, और किसी दिए गए स्थिति में अधिक प्रभावी कामकाज के उद्देश्य से हैं।

पार्टी बाय-लॉ

केंद्रीय समिति पार्टी के तहत नियम और उपनियम बना सकती है संविधान और उसके अनुरूप। पार्टी के तहत नियम और उपनियम केंद्रीय समिति द्वारा पुष्टि के अधीन राज्य समितियों द्वारा संविधान और उसके अनुरूप भी तैयार किया जा सकता है।

विविध प्रावधान

बहुआयामी पार्टी कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, बहुआयामवाद के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगी।

प्रतिनिधि



Vacancy

(a) Vacancy caused by resignation or expulsion or death or habitual absence or by any other reason, shall be filled up by the respective party committees, from amongst the category, front or jurisdiction the member belonged to, by co option.

(b) Vacancy in the sub-committees etc. shall be filled up by the appointing committee in the same manner.

(c) Vacancy in the post of General Secretary shall only be filled up by the Council or Delegates' session. Respective committees shall elect acting General Secretary for the interim period.

Note: Votes, if necessary for the purpose, shall be by simple majority.

Party Congress and Conferences:

The Party members willing to get elected at any level as delegate to the Party Congress/Conferences shall offer their candidature to the electors. Such a candidate as a Party member must belong to or be attached to the Party organisation where the election of delegates is being held and his/her candidature must be proposed and supported by a minimum number of electors, the number of which and other rules relating to such elections shall be specified by the Central Committee or by any other appropriate higher Party Committee.

Party Veterans

Any comrade who has put in a long period of service for the party and the working people and has been member of any party council and whose contribution in the deliberations of the council is considered useful and beneficial but who is now unable, for reasons of old age or sickness, to carry on active day-to-day work, may be made permanent invitee to the meetings of the party council concerned with a view to giving the party the benefit of his experience and advice.

Amendments of constitution

An amendment of this Constitution can be made by the Central General Council by a simple majority Provided that an amendment of this Constitution can also be carried out by a resolution of the Central Executive Committee, being the highest executive authority of the party, provided the amended provisions do not militate against the aims, objectives and basic party structure, and are aimed at more effective functioning in a given situation.

Party Bye-Laws

The Central Committee may frame rules and bye-laws under the Party Constitution and in conformity with it. Rules and bye-laws under the Party Constitution and in conformity with it may also be framed by the State Committees subject to confirmation by the Central Committee.

Miscellaneous Provision

The Multidimensional Party shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and to the principles of Socialism, Secularism, Democracy & Multidimensionalism and shall uphold the Sovereignty, Unity and Integrity of India.

Delegate





अधीन/Under

बहुआयामी राजनीतिक पार्टी (बी.ए.पी.)

Multidimensional Political Party (M.D.P.)

लखीमपुर खीरी (लखनऊ) उत्तर प्रदेश (262727 / 266026)



Helpline No.
0522-2730211

Member Welcome Letter/ सदस्यता स्वागत पत्र

Congratulations and welcome/ बधाई व स्वागतम्

Dated /दिनांक:-

Name of Member/ सदस्य का नाम:-

Member I.D No./ सदस्य आई.डी. स.:-

Member Reference I.D./ सदस्य संदर्भ आई.डी.स.:-

Dear _____,

We're delighted you are a member of Multidimensional Political Party बहुआयामी राजनीतिक पार्टी (बाप)

On behalf of the Board of Directors/President for the (section/chapter) of the Multidimensional Political Party. We want to take this opportunity to say, "hello" and welcome you to join BAP Party.

Your membership includes being able to participate with your local section. The _____ section/chapter, an all-volunteer organization, holds regular meetings and networking programs in (Official Uttar Pradesh) for party members. Party next event is _____ and we cordially invite you to attend, and hope you will regularly participate in member activities in the future.

We are happy to help you find something that meets your interests and personal growth needs. Contact information for the Committee and Section leaders is located on our website at (www.multidpublication.in) Our section sends out most communications via email, so please make sure to keep your contact information updated on the Multidimensional Political Party, website if it changes. Sends out a email or newsletter called the Member Connection highlighting.

Within the coming months, you will begin receiving (via email by society.up26@gmail.com or whatsapp) our newsletter. A copy of the most recent issue is enclosed (or attached) for your reference. Notices of activities and program announcements are circulated from our Publicity Chair, via email or whatsapp and personally sms.

I look forward to seeing at the next (SECTION/CHAPTER) program so we can become personally acquainted and I can introduce you to some of our other members at that time. Please contact me if you have any questions, and again, welcome! You have made a sound investment in your professional political future.



Secretary

Signature



Authorized



अब राजा वही बनेगा जो उसका असली हकदार होगा।



राष्ट्रीय अध्यक्ष

के.एम. आमिश

नैनो तकनीकी विशेषज्ञ, विज्ञान लेखक

मो0 : 9918422098

Multidimensional Educational Technical & Research Society / बहुआयामी शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान समिति

अधीन/Under

बहुआयामी राजनीतिक पार्टी (बी.ए.पी.)

Multidimensional Political Party (M.D.P.)

लखीमपुर खीरी (लखनऊ) उत्तर प्रदेश (262727 / 266026)



Helpline No.

0522-2730211

Member Welcome Letter/ सदस्यता स्वागत पत्र

Congratulations and welcome/ बधाई व स्वागतम्

Dated /दिनांक:-

Name of Member/ सदस्य का नाम:-

Member I.D No./ सदस्य आई.डी. स.:-

Member Reference I.D./ सदस्य संदर्भ आई.डी.स.:-

प्रिय _____,

हमें खुशी है कि आप बहुआयामी राजनीतिक पार्टी (बी.ए.पी.) के सदस्य बन चुके हैं बहुआयामी राजनीतिक दल के निदेशक मंडल / अध्यक्ष (अनुभाग / अध्याय) की ओर से। हम इस अवसर पर आप को "हैलो" कहना चाहते हैं और बी.ए.पी पार्टी में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद व स्वागत करते हैं।

आपकी सदस्यता आपके स्थानीय अनुभाग के साथ भाग लेने में सक्षम होना शामिल है। _____ अनुभाग / अध्याय, एक राजनीतिक पार्टी, नियमित बैठकें और नेटवर्किंग विचारधारा कार्यक्रम (आधिकारिक उत्तर प्रदेश) में सदस्यों के लिए रखता है। पार्टी अगला कार्यक्रम _____ है और पार्टी सौहार्दपूर्वक आपको भाग लेने के लिए आमंत्रित करती हैं, और आशा है कि आप भविष्य में नियमित रूप से सदस्यता गतिविधियों में भाग लेंगे।

हमें आपकी व समाज मदद करने में खुशी होती है जो आपके हितों और व्यक्तिगत सामाजिक विकास की जरूरतों को पूरा करता है। दल और अनुभाग के नेताओं के लिए संपर्क जानकारी हमारी वेबसाइट) www.multidpublication.in) पर उपलब्ध रहती है।

हमारा अनुभाग ईमेल के माध्यम से अधिकांश संचार भेजता है, इसलिए यदि कोई परिवर्तन व बदलाव होता है तो पार्टी संपर्क जानकारी को बहुआयामी राजनीतिक दल, वेबसाइट पर अपडेट करवा दिया जाता है। पार्टी के द्वारा एक ईमेल या समाचार पत्र भेजा जाता है जिसे सदस्य कनेक्शन हाइलाइटिंग कहा जाता है।

आने वाले समय माह के भीतर, आपको हमारे न्यूजलेटर के माध्यम से) ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करना शुरू कर देंगे society.up26@gmail.com)। गतिविधियों और कार्यक्रम की घोषणाओं के नोटिस हमारे प्रचार चेंबर से ईमेल या व्हाट्सएप और व्यक्तिगत रूप से एसएमएस के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं।

पार्टी आप के अगले) खंड / अध्याय (कार्यक्रम को देखने के लिए उत्सुक है ताकि हम व्यक्तिगत तथा राजनीतिक रूप से परिचित हो सकें और पार्टी आपको उस समय हमारे कुछ अन्य पाधिकारियों से मिलवा सके और अनुभव के अनुसार आप का पदभार करवाया जा सके। यदि आपके पास कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझसे साझा करें, और फिर से पार्टी में आपका स्वागत है !आपने अपने पेशेवर राजनीतिक भविष्य में एक अच्छा प्रवेश किया है।



सचिव



अधिकारिक हस्ताक्षर



अब राजा वही बनेगा जो उसका असली हकदार होगा।

Follow us multidsociety86@gmail.com www.multidpublication.in 0522- 2731211

बहुआयामी राजनीतिक पार्टी (बी.ए.पी.) Multidimensional Political Party (M.D.P.)

लखीमपुर खीरी (लखनऊ) उत्तर प्रदेश (262727 / 266026)

Helpline No.
0522-2730211



society.up26@gmail.com

PVT.IN-UP00.*****PNN.****

पत्रांक

बहुआयामी राजनीतिक पार्टी

प्रेसविज्ञप्ति

विषय:- पदोन्नति/पद बहाली तथा नई नियुक्तियां हेतु

(चरण सं. -0*****)

भारत सरकार द्वारा 1860 एक्ट के अधीन पंजीकृत संस्था “शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान समिति” के द्वारा व अधीन गठित “बहुआयामी राजनीतिक पार्टी” (बी. ए. पी) भारत के सभी प्रदेश के सूचना आयोग तथा चुनाव निर्वाचन आयोग व पार्टी के पदाधिकारियों, सर्वजन को सूचित कराना है की पार्टी के अध्यक्ष के० एम० आमिश व उच्च पदाधिकारियों की सहमति से तथा ऑनलाइन मीटिंग व वोटिंग के प्रतिशत को देखते हुए आज “दिनांक ***** सन 20**” को उत्तर प्रदेश के पार्टी से जुड़े सदस्यों की पार्टी के प्रति सच्ची, श्रद्धा, रूचि, लगन, ईमानदारी तथा पार्टी के प्रति अति उल्लेखनीय कार्य को देखते हुये निम्न साथियों के पद नियुक्ति व बहाली कि घोषणा करती है

1. जनपद *****से सदस्य “*****” को ***** के पद पे

प्रेस विज्ञप्ति जारी

1. शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान समाचार पत्र
2. बहुआयामी प्रकाशक
3. पार्टी के ब्लॉग
4. प्रमुख पत्र पत्रिकाएं
5. समस्त प्रकार की प्रमुख सोशल मीडिया
6. पार्टी यू-ट्यूब चैनल



अब राजा वही बनेगा जो उसका असली हकदार होगा।

नियुक्ति पत्र / Employ Latter

पदाधिकारी का नाम-;*****

दिनांक -:**/**/20**

आई.डी.नं. -:*****

रिफरेन्स नं.-: *****

संपर्क सूत्र -:+91-*****

राजनीतिक कोड -:PNT.*****

प्रिय बन्धु,

आप को बहुआयामी राजनीतिक पार्टी (बी.ए.पी) Multidimensional Political Party (M.D.P) समस्त राष्ट्रीय/प्रदेश व जनपद पदाधिकारियों के निर्देशानुसार व सहमति से पार्टी में “*****” पद पर नियुक्त किया जाता है इस हेतु आप को पार्टी परिवार की ओर से बधाई:

पार्टी की ओर से आप से आशा की जाती है की आप पार्टी के संगठन तथा विचारधारा को तेज गति एवं मजबूती प्रदान करते हुये अपने ऊपर नियुक्त समस्त पदाधिकारियों की आज्ञा का पालन करेंगे और अपने नीचे के पदाधिकारियों का सहयोग करेंगे/

जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम -:के एम आमिष

जारीकर्ता अधिकारी का पद -:राष्ट्रीय अध्यक्ष

हस्ताक्षर मोहर/ स्टाम्प सहित -:



दिशा-निर्देश: आप राष्ट्रीय/प्रदेश के केन्द्रत्व या स्वीकृति के बिना किसी भी पार्टी के पदाधिकारी/सदस्य को पार्टी से पद्युक्त/निष्कासित नहीं करेंगे और ना ही पार्टी की तरफ से कोई निर्णय व घोषणा करेंगे ऐसे कार्य जिला मंडल तथा प्रदेश के नेतृत्व में ही हो सकेंगे.

नोट -:पार्टी के निति-निर्देशों तथा पार्टी संविधान का पालन न करने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है तथा आप की शिकायत व प्रशंसा के आधार पर आपको कभी भी पदोन्नति या निष्कासित भी किया जा सकता है.

कार्यकारिणी का प्रारूप -: प्रभारी ,नियंत्रक ,सलाहकार ,अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महसचिव, सचिव, प्रवाखता, कोषाध्यक्ष मीडिया प्रभारी, सदस्य कार्यकारिणी आदि की संख्या इकाई के कार्यभार के आधार पर प्रभारी द्वारा निधारित की जायेगी (जनपद के मुख्य 25पद अधिकारियों की कार्यकारिणी की रूप रेखा का प्रारूप साथ में संलग्न है (अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय पाधिकारियों का मान्य होगा/

क्रपया इस पत्र की प्राप्ति को स्वीकार कर भविष्य में जरूरत हेतु सुरक्षित रखने की क्रपा करें /

भवनिष्ठ/महासचिव

प्र. स० ,दिनांक, एवं पहचान स० यथोपरि/

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में आवश्यक संरक्षण, परिपोषण एवं मार्गदर्शन के निवेदन सहित सादर प्रेषित-:

- 1, जनपद जिला अधिकारी : *****
- 2, जनपद पुलिस अधीक्षक -: *****
- 3, निर्वाचन आयोग कार्यालय-: *****
- 4, पार्टी महासचिव) प्र. (को सूचनार्थ -:कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश
- 5, समस्त प्रमुख समाचार- पत्रों को व सादर सूचनार्थ एवम नि:शुल्क प्रकाशनार्/



अब राजा वही बनेगा जो उसका असली हकदार होगा।

बहुआयामी राजनीतिक पार्टी (बी.ए.पी.)

Multidimensional Political Party (M.D.P.)

लखीमपुर खीरी (लखनऊ) उत्तर प्रदेश (262727 / 266026)

Helpline No.
0522-2730211AUTHORISATION LETTER/ प्राधिकार पत्र

Dear,

We're delighted you are an authorized Officer of Multidimensional Political Party (बहुआयामी राजनीतिक पार्टी, बी. ए. पी)

I hereby appoint the following person specified in as my nominated representative and entrust the candidate to conduct the activities specified here.

Information of the representative.

Dated /दिनांक:- - **/**020**

Name of Candidate / सदस्य का नाम:- *****

Candidate I.D No./ सदस्य आई.डी. स.:- *****

Candidate Reference I.D./ सदस्य संदर्भ आई.डी.स.:- *****

Candidate Political Designation / सदस्य राजनीतिक पदभार :- *****

We hereby represent **Multidimensional Political Party (M.D.P)** appoint Dr./Prof./Mr./Ms./Mrs. "*****" as a "*****" of District / Loksabha/Vidhansabha "*****" of Uttar Pradesh Representative Officer. At the working time, the said representative is hereby authorized to be responsible for all the Constitution/bylaws Objective or activities relating to the **Multidimensional Political Party**.

- This letter of authorization shall remain valid until the Party removes or replaces its designated representative upon written notice we the same form as this letter of authorization.
- This letter of authorization shall remain valid only until the District/ Loksabha/Vidhansabha ***** of Uttar Pradesh.

On behalf of
Multidimensional Political Party
signature



[Signature]

Constitution

अधीन

हि- English

बहुआयामी शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान समिति
बहुआयामी राजनीतिक पार्टी (बी.ए.पी.)
Multidimensional Political Party

संविधान/Consitution

Officers Solutions Booklet

पदाधिकारी समाधान पुस्तिका

बोल कि लब आजाद है तेरे

Speak that your tongue is free

सम्भावित पार्टी चिन्ह

बी.ए.पी.

M.D.P.



परखनली
आओ परखें

Multidimensional Political Party (MDP)

परखनली
आओ परखें



बहुआयामी राजनीतिक पार्टी (बी.ए.पी.)

अब राजा वही बनेगा जो उसका असली हकदार होगा

Multidimensional Educational Technical
& Research Society








पार्टी सहायता नं० : 0522-2731211/2730211

Reg. Office : Kasta Colony, Maigalganj, Marg, Near H.P. Maurya Petrol Pump

Constituency Kasta Seat No.- 143, Block Mitauli pin (261501)

District : Lakhimpur Kheri U.P. (262701) INDIA

Follow us     multidsociety86@gmail.com  www.org.multidpublication.in  0522-2627211

संविधान